06080

17

सत्यमेव जयते

31 मार्च 2013 को समाप्त वर्ष के लिए पंचायती राज संस्थाओं तथा शहरी स्थानीय निकायों

पर

वार्षिक तकनीकी निरीक्षण प्रतिवेदन

भारतीय लेखा एवं लेखा परीक्षा विभाग ✦ INDIAN AUDIT AND ACCOUNTS DEPARTMENT

सत्यमेव जयते
हिमाचल प्रदेश सरकार

हिमाचल प्रदेश सरकार

कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा)
हिमाचल प्रदेश, शिमला

31 मार्च 2013 को समाप्त वर्ष के लिए पंचायती राज संस्थाओं तथा शहरी स्थानीय निकायों

6 DEC 20 को हि०प्र०
विधान सभा पटल पर रखा गया।

पर

वार्षिक तकनीकी निरीक्षण प्रतिवेदन

हिमाचल प्रदेश सरकार

कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा)

हिमाचल प्रदेश, शिमला

अनुक्रमणिका

विवरण	परिच्छेद्	पृष्ठ संख्या
प्रस्तावना		v
विहंगावलोकन		vii-ix
भाग-क **पंचायती राज संस्थाऐं**		
अध्याय -1 **पंचायती राज संस्थाओं की रूपरेखा**		
पंचायती राज संस्थाओं की पृष्ठभूमि	1.1	1
नियंत्रक महालेखापरीक्षक का लेखापरीक्षा अधिदेश	1.2	1
पंचायती राज संस्थाओं का संगठनात्मक ढांचा	1.3	2
वित्तीय रूपरेखा	1.4	3
पंचायती राज संस्थाओं में लेखा प्रणाली	1.5	5
लेखापरीक्षा व्याप्ति	1.6	6
पंचायती राज संस्थाओं की वित्तीय रिपोर्टिंग और उत्तरदायित्व की रूपरेखा (आंतरिक नियंत्रण प्रणाली)	1.7	6
अध्याय -2 **पंचायती राज संस्थाओं की लेखापरीक्षा का परिणाम**		
राजस्व	2.1	11
बकाया अग्रिम	2.2	12
निविदाएं आमंत्रित किए बिना वस्तुओं की खरीद	2.3	13
निर्माण कार्यों को आरंभ न किए जाने के कारण निधियों का अवरोधन	2.4	14
संदेहपूर्ण विस्तारण	2.5	14
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम का कार्यान्वयन	2.6	15
भाग-ख **शहरी स्थानीय निकाय**		
अध्याय-3 **शहरी स्थानीय निकायों की रूपरेखा**		
शहरी स्थानीय निकायों की पृष्ठभूमि	3.1	17
लेखापरीक्षा अधिदेश	3.2	17
शहरी स्थानीय निकायों का संगठनात्मक ढांचा	3.3	17
वित्तीय रूपरेखा	3.4	19
लेखापरीक्षा व्याप्ति	3.5	21
शहरी स्थानीय निकायों का वित्तीय विवरण एवं लेखांकन ढांचा (आंतरिक नियंत्रण प्रणाली)	3.6	21

अध्याय-4 शहरी स्थानीय निकायों की लेखापरीक्षा के परिणाम		
राजस्व	4.1	25
स्थापना पर व्यय आधिक्य	4.2	28
जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन के अन्तर्गत निधियों का अवरोधन	4.3	29
देयता का सृजन	4.4	30
आकस्मिक अग्रिमों का समायोजन न किया जाना	4.5	30
निरर्थक निवेश	4.6	32
परिसम्पत्तियों का उपयोग न होना	4.7	32
निधियों का अवरोधन	4.8	32

परिशिष्ट		
विवरण	परिशिष्ट संख्या	पृष्ठ संख्या
पंचायती राज संस्थाओं के संस्वीकृत पद	1	35
लेखापरीक्षा आच्छादन- 2012-13 के दौरान लेखापरीक्षित शहरी स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं का विवरण	2	36
बजट आकलनों को तैयार न करना	3	40
2007-13 के दौरान ग्राम पंचायतों द्वारा अभिलेखों का गैर-अनुरक्षण	4	42
बैंक पास बुक के साथ रोकड़ बहियों के अंतर का मिलान न किया जाना	5	43
सामग्री का लेखांकन न करना	6	46
13वें वित्त अयोग के अन्तर्गत निधियों का अवरोधन	7	47
गृह कर की वसूली न होना 2007-12	8	48
दुकानों का बकाया किराया	9	50
2006-12 के दौरान संविदाकारों/आपूर्तिकर्त्ताओं से रॉयल्टी की वसूली न होना	10	51
मोबाइल टावरों के प्रतिष्ठापन के आधार पर शुल्क की अवसूली	11	52
बकाया अग्रिम	12	53
कोटेशनों को आमंत्रित किये बिना सामग्री की खरीद	13	54
कार्यों के शुरू न होने के कारण निधियों का अवरोधन	14	56
मस्टर रोलों पर दो बार भुगतान का ब्यौरा	15	57
मनरेगा के अन्तर्गत निष्पादित कार्यों के सामग्री संघटकों पर व्यय आधिक्य	16	58
मनरेगा स्कीम के अन्तर्गत भुगतानों के जारी किये जाने में विलम्ब	17	59
शहरी स्थानीय निकायों का संस्वीकृत स्टाफ	18	60
शहरी स्थानीय निकायों के बजट आकलनों तथा वास्तविक व्यय का विवरण	19	62
गृह कर की दरों के गैर-नवीकरण के कारण राजस्व की हानि	20	65
बकाया गृह कर (2008-13)	21	66
दुकानों/स्टालों से किराए की गैर वसूली (2008-13)	22	67
मोबाइल टावरों पर प्रतिष्ठापन के आधार पर शुल्क की वसूली न होना	23	68
2009-12 के दौरान निर्धारित मानकों के आधिक्य में स्थापना पर हुआ व्यय	24	69

प्रस्तावना

1. नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक के डी0पी0सी0 एक्ट, 1971 की धारा 20(1) के अन्तर्गत भारत के नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक को हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा सुपुर्द पंचायती राज संस्थाओं तथा शहरी स्थानीय निकायों की लेखापरीक्षा के तकनीकी मार्गदर्शन एवं सहायता के नियमों एवं शर्तों के अनुरूप वार्षिक तकनीकी निरीक्षण प्रतिवेदन राज्य सरकार को हिमाचल प्रदेश विधान सभा के समक्ष रखे जाने के लिए प्रस्तुत किया गया है।

2. यह प्रतिवेदन राज्य में पंचायती राज संस्थाओं तथा शहरी स्थानीय निकायों की क्रियाविधि का विहंगावलोकन उपलब्ध करवाता है तथा निष्पादन विभागों का 2012-13 के दौरान लेखापरीक्षा के मुख्य लेखापरीक्षा परिणामों की तरफ उचित सुधारात्मक कार्रवाई करने के लिए ध्यान दिलाता है।

3. प्रतिवेदन में चार अध्याय हैं। अध्याय-1 तथा अध्याय-3 में पंचायती राज संस्थाओं तथा शहरी स्थानीय निकायों का विहंगावलोकन तथा वित्तीय प्रतिवेदन पर टिप्पणियां हैं। अध्याय-2 तथा अध्याय-4 में पंचायती राज संस्थाओं तथा शहरी स्थानीय निकायों की लेनदेन लेखापरीक्षाओं से उभर कर आने वाले परिणाम हैं।

4. इस प्रतिवेदन में वर्णित मामले 117 पंचायती राज संस्थाओं (छः जिला परिषदें, 19 पंचायत समितियां तथा 92 ग्राम पंचायतें) तथा 15 शहरी स्थानीय निकायों (एक नगर निगम, छः नगर परिषदें तथा आठ नगर पंचायतें) के लेखा की लेखापरीक्षा से उभर कर आने वाले मुख्य लेखापरीक्षा निष्कर्षों का समेकन हैं तथा वर्ष 2012-13 के दौरान पंचायती राज संस्थाओं तथा शहरी स्थानीय निकायों के वार्षिक लेखा (प्राप्तियां एवं व्यय लेखा) की नमूना जांच के दौरान जो मुख्य रूप से ध्यान में आए उनमें से हैं।

विहंगावलोकन

विहंगावलोकन

यह प्रतिवेदन दो भागों में है तथा चार अध्यायों से अन्तर्विष्ट है। अध्याय 1 तथा 2 पंचायती राज संस्थाओं से सम्बंधित हैं तथा अध्याय 3 तथा 4 शहरी स्थानीय निकायों से सम्बंधित हैं। इस विहंगावलोकन में महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्षों का सारांश प्रस्तुत किया जाता है:

पंचायती राज संस्थाओं की रूप रेखा

73वें संवैधानिक संशोधन से पंचायती राज संस्थाओं को एक संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ। इसकी निरंतरता में विभाग द्वारा संविधान की 11वीं अनुसूची में सूचीबद्ध सभी 29 कार्यकलाप पंचायती राज संस्थाओं को हस्तांतरित किए गए थे। तथापि पंचायती राज संस्थाओं को निधियां एवं पदाधिकारी हस्तांतरित किए जाने शेष थे।

राज्य में 12 जिला परिषदें, 77 पंचायत समितियां तथा 3,243 ग्राम पंचायतें हैं। 2012-13 के दौरान छः जिला परिषदों, 19 पंचायत समितियों तथा 92 ग्राम पंचायतों के नमूना जांचित अभिलेखों ने वित्तीय प्रतिवेदन मामले जैसे (क) बजट आकलनों की तैयारी न होना (ख) पंजिकाओं जैसे स्टॉक पंजिका, अचल सम्पत्ति पंजिका, कार्य पंजिका, मस्टर रोल पंजिका आदि का अनुरक्षण न करना (ग) स्वत्व संसाधनों तथा सहायता अनुदान/ऋण के लेखा का अनुचित अनुरक्षण (घ) रोकड़ बहियों तथा बैंक पास बुकों के मध्य समाधान न होना (ड़) उपार्जित सामग्रियों का अनुत्तरदायित्व (च) कार्यों के लेखा का अनुचित अनुरक्षण (छ) तेरहवें वित्त आयोग के अन्तर्गत उपलब्ध करवाई गई निधियों का अवरोधन आदि।

(अध्याय-1)

पंचायती राज संस्थाओं की लेखापरीक्षा के परिणाम

इक्यावन ग्राम पंचायतों ने ₹ 12.14 लाख के गृह कर की वसूली नहीं की। दस पंचायती राज संस्थाएं ₹ 35.77 लाख की राशि दुकानों के किराया प्रभारों के आधार पर वसूलने में असफल रहीं। तीस ग्राम पंचायतों ने ₹ 5.04 लाख की राशि की रॉयल्टियां आपूर्त्तिकर्त्ताओं से प्राप्त नहीं की। उन्नीस ग्राम पंचायतों में मोबाइल टावरों के प्रतिष्ठापना प्रभारों के नवीकरण के आधार पर ₹ 4.02 लाख का राजस्व अवसूल रहा। **आठ** ग्राम पंचायतें तथा एक पंचायत समिति ₹ 12.01 लाख के अदत्त अग्रिम वसूलने/समायोजित करने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की। तैंतालिस पंचायती राज संस्थाओं ने कोटेशन/निविदाओं को आमंत्रित किए बिना ₹ 1.90 करोड़ की सामग्री खरीदी थी। चौदह पंचायती राज संस्थाओं में ₹ 62.87 लाख की निधियां कार्यों के

प्रारम्भ न होने के कारण अव्ययित रही। छ: ग्राम पंचायतों ने एक ही अवधि में अलग-अलग कार्यों पर उन्हीं श्रमिकों को तैनात किया। ग्राम पंचायत बैरागढ़ (जिला चम्बा) ने एक कैलेंडर मास की गैर मौजूद तिथियों के लिए ₹ 0.03 लाख की मजदूरी का भुगतान किया। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना मजदूरी सामग्री अनुपात के अनुरक्षण न होने तथा श्रम भुगतान को जारी करने में हुए विलम्ब से प्रभावित हुई।

(अध्याय-2)

शहरी स्थानीय निकायों की रूपरेखा

राज्य में एक नगर निगम, 25 नगर परिषदें तथा 23 नगर पंचायतें हैं। 74वें संवैधानिक संशोधन ने शहरी स्थानीय निकायों के लिए निधियों तथा पदाधिकारियों सहित संविधान की 12वीं अनुसूची में सूचीबद्ध 18 कार्यों के हस्तांतरण तथा शक्ति के विकेन्द्रीकरण का मार्ग प्रशस्त किया। यद्यपि शहरी स्थानीय निकायों को हस्तांतरित सभी 18 कार्य हैं, तो भी शहरी स्थानीय निकायों की निधियां एवं पदाधिकारी हस्तांतरित किये जाने हैं। राज्य सरकार ने लेखा के प्रमाणन के लिए किन्हीं एक्ट/नियमों का प्रावधान नहीं किया है। एक नगर निगम, छ: नगर परिषदों तथा आठ नगर पंचायतों के अभिलेखों की 2012-13 के दौरान की गई नमूना जांच ने वित्तीय प्रतिवेदन मामले जैसे (क) लेखा का गैर-प्रमाणन (ख) बजट आकलनों को यथार्थ पूर्ण तरीके से तैयार न करना दर्शाया।

(अध्याय-3)

शहरी स्थानीय निकायों की लेखापरीक्षा के परिणाम

राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार चार शहरी स्थानीय निकायों द्वारा गृह कर की दरों को संशोधित न करने के परिणामस्वरूप ₹ 1.70 करोड़ के राजस्व का घाटा हुआ। इसके अतिरिक्त, आठ शहरी स्थानीय निकायों में गृह कर के प्रभावहीन अनुश्रवण के कारण ₹ 5.33 करोड़ का राजस्व बकाया पड़ा था। नगर परिषद् बद्दी ने गृह कर नहीं लगाया तथा ₹ 20.67 लाख की राशि का स्वच्छता कर तथा ₹ 54.23 लाख की राशि का विद्युत कर लगाने में भी असफल रही। सात शहरी स्थानीय निकाय सम्बंधित आवंटितियों से ₹ 1.92 करोड़ की राशि का दुकान किराया वसूलने में असफल रहे। नगर निगम शिमला भी ₹ 32.84 लाख का पट्टा धन वसूलने में असफल रहा। सात शहरी स्थानीय निकायों द्वारा मोबाइल टावरों के प्रतिष्ठापन/नवीकरण प्रभारों की वसूली में असफलता के परिणामस्वरूप ₹ 47.05 लाख के राजस्व की हानि हुई। तीन शहरी स्थानीय निकायों ने मानदण्डों से अधिक ₹ 3.14 करोड़ का व्यय किया। नगर निगम,

शिमला ने शिमला के विभिन्न क्षेत्रों में छोड़ी गई/जीर्ण सिवरेज तथा लुप्त लाइनों में सिवरेज नेटवर्क के जीर्णोद्धार के लिए जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन के अन्तर्गत ₹ 12.33 करोड़ का उपयोग नहीं किया। यह पानी के बिलों के भुगतान करने में भी असफल रहा जिसके परिणामस्वरूप ₹ 112.66 करोड़ की दायिता का सृजन हुआ तथा अभिलेखों के उपलब्ध न होने के कारण ₹ 24.52 करोड़ के आकस्मिक अग्रिम समायोजित/वसूल नहीं किए। इसने बिना उचित योजना के कार पार्किंगों पर ₹ 25.60 लाख का व्यय भी किया। नगर पंचायत भोटा (जिला हमीरपुर) कूड़े के निस्तारण हेतु हाईड्रोलिक टिप्पर खरीद के लिए उपलब्ध ₹ 7.50 लाख की निधियों का उपयोग करने में असफल रहा।

(अध्याय-4)

अध्याय-1

पंचायती राज संस्थाओं की रूपरेखा

अध्याय-1

पंचायती राज संस्थाओं की रूपरेखा

1.1 पंचायती राज संस्थाओं की पृष्ठभूमि

73वें संवैधानिक संशोधन ने पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया तथा वित्त आयोगों के माध्यम से निधियों के नियमित प्रवाह, समान ढांचे तथा नियमित चुनावों की पद्धति स्थापित की। इसके अनुवर्ती राज्यों से इन निकायों को ऐसी शक्तियां, कार्य एवं उत्तरदायित्व दिए जाने की अपेक्षा की जाती थी जो उन्हें स्थानीय स्वशासन की संस्थाओं के रूप में कार्य करने के लिए सक्षम करें। विशेषकर पंचायती राज संस्थाओं से संविधान की ग्यारहवीं अनुसूची में श्रेणीबद्ध कार्यों सहित आर्थिक विकास एवं सामाजिक न्याय के लिए योजनाओं के निर्माण और स्कीमों के कार्यान्वयन की अपेक्षा की जाती थी। संविधान की 11वीं अनुसूची में श्रेणीबद्ध समस्त 29 कार्य पंचायती राज संस्थाओं को सौंपे गए थे। तथापि विभागों द्वारा निधियां सौंपी नहीं जा रही थी। निदेशक, पंचायती राज ने बताया (अक्तूबर 2013) कि समय-समय पर पंचायती राज संस्थाओं को सौंपे गए कार्यों के साथ अनुरूपता में निधियों एवं कार्यों को सौंपे जाने के लिए निर्दिष्ट विभागों का अनुवर्तन किया जा रहा था।

इन संस्थाओं को सरकार के तृतीय स्तर के रूप में कार्य करने के लिए सक्षम बनाने हेतु राज्य सरकार ने हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 बनाया और हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (सामान्य) नियमावली, 1997 एवं हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखों, लेखापरीक्षा, कार्य, कराधान और भत्ते) नियमावली, 2002 की रूपरेखा तैयार की। नियंत्रक महालेखापरीक्षक एवं पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 2009 में निर्धारित की गई लेखा संरचना राज्य सरकार द्वारा अपनाई गई थी और तदानुरूप वार्षिक लेखों (प्राप्तियां एवं व्यय) का अनुरक्षण पंचायती राज संस्थाओं द्वारा किया जा रहा है।

1.2 नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का लेखापरीक्षा अधिदेश

हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं की लेखापरीक्षा निदेशक, पंचायती राज विभाग के लेखापरीक्षा स्कंध द्वारा संचालित की जा रही है। राज्य सरकार ने पंचायती राज संस्थाओं की लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (डी0पी0सी0) अधिनियम, 1971 के खंड 20(1) के अंतर्गत तकनीकी मार्गदर्शन एवं सहायता उपलब्ध करवाने के उत्तरदायित्व के साथ सौंपी (मार्च 2011) थी। लेखापरीक्षा के परिणाम वार्षिक तकनीकी निरीक्षण प्रतिवेदन, जो कि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम,1994 के खंड 118 के अनुसार राज्य विधानसभा के सम्मुख प्रस्तुत किया जाना होता है, में सम्मिलित है।

1.3 पंचायती राज संस्थाओं का संगठनात्मक ढांचा

नीचे दिया गया चार्ट राज्य सरकार, पंचायती राज विभाग और जिला परिषद, पंचायत समिति एवं ग्राम पंचायत स्तर पर पंचायती राज संस्थाओं के संगठनात्मक ढांचे को दिखाता है:

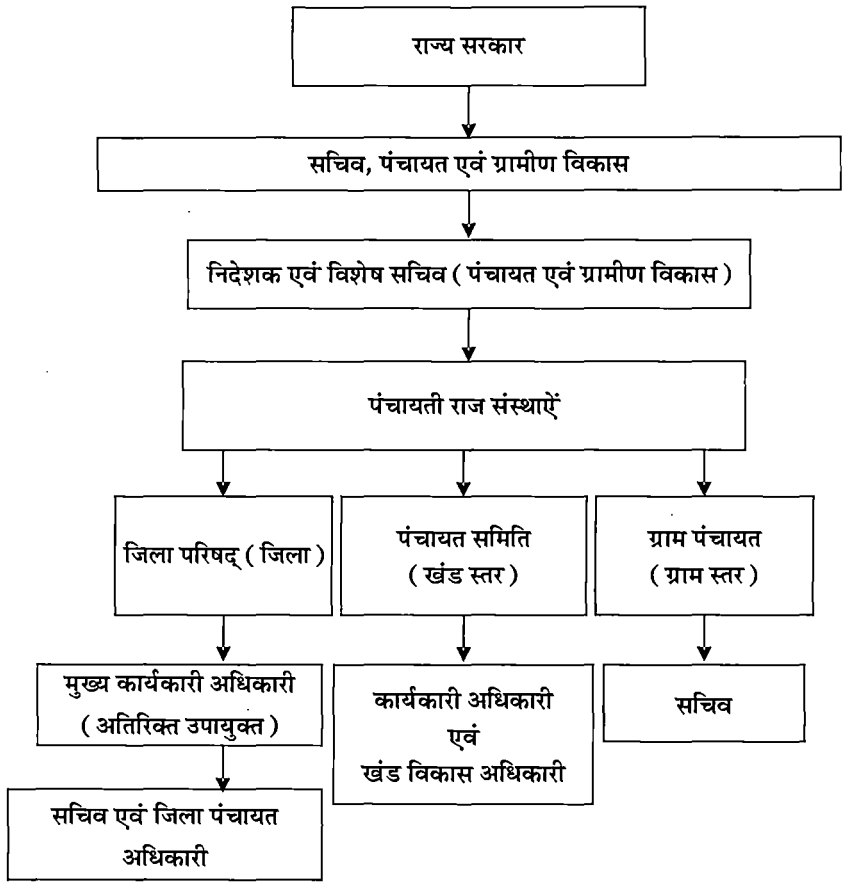

जिला परिषदों एवं पंचायत समितियों के अध्यक्ष तथा ग्राम पंचायतों के प्रधान निर्वाचित सदस्य होते हैं और क्रमशः जिला परिषदों, पंचायत समितियों एवं ग्राम पंचायतों की अध्यक्षता करते हैं। जिला स्तरीय अधिकारियों से विकासात्मक गतिविधियों पर चर्चा करने के लिए जिला परिषदों की मासिक बैठकों में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जाती है।

1.3.1 स्थायी समितियां

पंचायती राज संस्थाओं में विभिन्न स्थायी समितियां और उनकी भूमिका एवं उत्तरदायित्व **तालिका 1** में दिये गये हैं।

तालिका 1: स्थायी समितियों की भूमिका एवं उत्तरदायित्व

पंचायती राज संस्थाओं का स्तर	स्थायी समिति का अध्यक्ष	स्थायी समितियों का नाम	स्थायी समिति की भूमिका एवं उत्तरदायित्व
जिला परिषद्	अध्यक्ष	सामान्य स्थायी समिति	स्थापना मामलों, संचार, भवनों आदि से सम्बंधित कार्यों का निष्पादन।
		वित्त, लेखापरीक्षा एवं योजना समिति	जिला परिषद् के वित्त से सम्बंधित कार्यों का निष्पादन।
		सामाजिक न्याय समिति	कार्यों जैसे अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/पिछड़े वर्गों की शिक्षा, आर्थिक, सांस्कृतिक एवं अन्य हितों, का निष्पादन।
		शिक्षा एवं स्वास्थ्य समिति	राष्ट्रीय नीति और राष्ट्रीय एवं राज्य योजनाओं के ढांचे के अंतर्गत जिले में शिक्षा योजना का जिम्मा लेती है।
		कृषि और उद्योग समिति	कृषि उत्पादन, पशुपालन, सहकारिता, ग्रामीण एवं कुटीर उद्योगों आदि से सम्बंधित कार्यों का निष्पादन।
पंचायत समिति	अध्यक्ष	सामान्य स्थायी समिति	स्थापना मामलों और संचार आदि से सम्बंधित कार्यों का निष्पादन।
		वित्त, लेखापरीक्षा और योजना समिति	पंचायत समिति के वित्त से सम्बंधित कार्यों का निष्पादन।
		सामाजिक न्याय समिति	कार्यों जैसे अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/पिछड़े वर्गों की शिक्षा, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं अन्य हितों का निष्पादन।
ग्राम पंचायत	प्रधान	कार्य समिति	ग्राम पंचायतों के समस्त विकासात्मक कार्य इस समिति द्वारा निष्पादित किए जाते हैं।
		बजट समिति	ग्राम पंचायत का वार्षिक बजट तैयार करती है और इसे सचिव को प्रस्तुत करती है।

1.3.2 स्कीमों के कार्यान्वयन हेतु संस्थानात्मक प्रबंध

पंचायती राज संस्थाओं के पास तकनीकी और गैर-तकनीकी स्टॉफ होता है। विभिन्न संवर्गों के 8186 संस्वीकृत पदों में से मार्च 2013 तक पंचायत सहायक/सचिवों के 200 पद रिक्त थे **(परिशिष्ट-1)**।

पंचायत सचिवों/सहायकों को पंचायती राज संस्थाओं में 45 दिनों का आधारभूत प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसके अतिरिक्त उनकी दक्षता के प्रोन्नयन के लिए विभाग द्वारा संगणक प्रशिक्षण सहित पुनश्चर्या पाठ्यक्रमों का आयोजन किया जाता है।

1.4 वित्तीय रूपरेखा

1.4.1 पंचायती राज संस्थाओं को निधि प्रवाह

निधि प्रवाह: पंचायती राज संस्थाओं में निधियों का स्रोत और अभिरक्षण

पंचायती राज संस्थाओं के स्रोत अनुरक्षण/विकास उद्देश्यों और स्कीमों के कार्यान्वयन हेतु राज्य वित्त आयोग अनुदान, केन्द्रीय वित्त आयोग अनुदान, राज्य सरकार अनुदान और केन्द्र सरकार अनुदान हैं। निधिवार स्रोत और प्रत्येक स्तर के लिए उनके अभिरक्षण के साथ-साथ प्रमुख स्कीमों हेतु निधि प्रवाह प्रबंध **तालिका 2** और **तालिका 3** में दिए गए हैं:

तालिका 2: निधि प्रवाह: पंचायती राज संस्थाओं में निधियों का स्त्रोत व अभिरक्षण

निधि की प्रवृत्ति	जिला परिषदें		पंचायत समितियां		ग्राम पंचायतें	
	निधि का स्त्रोत	निधि का अभिरक्षण	निधि का स्त्रोत	निधि का अभिरक्षण	निधि का स्त्रोत	निधि का अभिरक्षण
अपनी प्राप्तियां	जिला परिषदें	बैंक	पंचायत समितियां	बैंक	ग्राम पंचायतें	बैंक
राज्य योजना	राज्य सरकार	बैंक	राज्य सरकार	बैंक	राज्य सरकार	बैंक
राज्य वित्त आयोग	राज्य सरकार	बैंक	राज्य सरकार	बैंक	राज्य सरकार	बैंक
केन्द्रीय वित्त आयोग	भारत सरकार	बैंक	भारत सरकार	बैंक	भारत सरकार	बैंक
केन्द्रीकृत प्रायोजित स्कीमें	भारत सरकार	बैंक	भारत सरकार	बैंक	भारत सरकार	बैंक

जब पंचायती राज संस्थाओं द्वारा भारत सरकार और राज्य सरकार से जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार केन्द्रीय एवं राज्य प्रायोजित स्कीमों के निष्पादन के लिए केन्द्रीय व राज्य अनुदान प्रयुक्त किये जाते हैं, तब पंचायती राज संस्थाओं की अपनी प्राप्तियां पंचायती राज संस्थाओं द्वारा तैयार की गई स्कीमों/कार्यों के निष्पादन हेतु प्रयुक्त की जाती हैं।

तालिका 3: प्रमुख केन्द्रीय प्रायोजित सर्वोत्कर्ष स्कीमों में निधि प्रवाह प्रबंध

क्रमांक	स्कीम	निधि प्रवाह प्रबंध
1.	महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम (मनरेगा)	भारत और राज्य सरकार अपना-अपना मनरेगा निधियों का अंश राज्य रोजगार गारंटी निधि नामक बैंक खाते में हस्तांतरित करवाते हैं जो राज्य लेखा से बाहर स्थित होता है। उपायुक्त, राज्य ग्रामीण रोजगार गारंटी राज्य रोजगार गारंटी निधि का अभिरक्षक होता है और जिला परिषदों, पंचायत समितियों एवं ग्राम पंचायतों को निधियों के आगे हस्तांतरण को प्राधिकृत करता है।
2.	इंदिरा आवास योजना	इंदिरा आवास योजना एक केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम है जिसका भारत और राज्य सरकार के मध्य 75:25 के अनुपात में लागत विभाजन के आधार पर निधियन होता है। निधियां ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों को हस्तांतरित की जाती हैं जो इन निधियों के अभिरक्षक होते हैं। जिला ग्रामीण विकास अभिकरण निधियां खंड विकास अधिकारियों को जारी करते हैं और खंड विकास अधिकारी ग्राम पंचायतों को निधियां जारी करते है। इसके अतिरिक्त ग्राम पंचायतें निधियों को सीधे लाभार्थियों के खातों में दो किस्तों में हस्तांतरित करती हैं। दूसरी किस्त लिंटल स्तर तक निर्माण होने के बाद जारी की जाती है।
3.	एकीकृत जलागम विकास कार्यक्रम	एकीकृत जलागम विकास कार्यक्रम केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम है जिसका भारत सरकार और राज्य सरकार के मध्य 5500: 500 प्रति हेक्टेयर के अनुपात में लागत विभाजन के आधार पर निधियन होता है। निधियां जिला ग्रामीण विकास अभिकरण द्वारा जलागम समिति को जारी की जाती हैं जो बैंक में खाता खोलती है। इस स्कीम के अंतर्गत निधि का प्रवाह भारत सरकार, जलागम विकास विभाग से जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण से परियोजना कार्यान्वयन अभिकरण, परियोजना कार्यान्वयन अभिकरण से जलागम समिति और जलागम समिति से निष्पादन अभिकरणों को होता है।
4.	स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना	परियोजना की कुल लागत 75:25 के अनुपात में केन्द्र व राज्य के मध्य विभाजित की जाती है। निधियां ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों को हस्तांतरित की जाती हैं; जिला ग्रामीण विकास अभिकरण निधियां खंड विकास अधिकारियों को जारी करते हैं और खंड विकास अधिकारी निधियां सीधे लाभार्थियों को जारी करते हैं।
5.	समग्र स्वच्छता अभियान	इस योजना के अंतर्गत केन्द्र, राज्य एवं समुदाय के मध्य निधियां क्रमश: 60:30:10 के अनुपात में विभाजित होती हैं। भारत सरकार से निधियों की प्राप्ति पर उसे समरूप अंश के साथ ग्रामीण विकास विभाग द्वारा जिले के खाते को जारी कर दिया जाता है। तथापि समुदाय का अंशदान पंचायत द्वारा अपने संसाधनों से, 13वें वित्त आयोग के अनुदानों से अथवा राज्य की किसी अन्य निधि, जिसे राज्य द्वारा स्वीकृत किया गया हो, से किया जा सकता है।

1.4.2 संसाधन: प्रवृत्तियां एवं संयोजन

2008-09 से 2012-13 की अवधि के लिए पंचायती राज संस्थाओं के संसाधनों का ब्यौरा **तालिका 4** में दिया गया है:

तालिका 4: पंचायती राज संस्थाओं के संसाधनों पर समयावली आंकड़े

(₹ करोड़ में)

	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
अपना राजस्व	7.35	7.72	7.81	31.52	अनुपलब्ध
केन्द्रीय वित्त आयोग हस्तांतरण (वित्त आयोग अंतरण)	29.40	29.40	52.14	80.80	93.21
राज्य वित्त आयोग हस्तांतरण (राज्य वित्त आयोग अंतरण)	51.80	51.83	48.02	67.53	62.95
राज्य सरकार से अनुदान	65.93	69.87	71.65	72.88	70.40
केन्द्र सरकार से अनुदान	61.76	58.57	82.79	113.15	131.16
केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम के लिए भारत सरकार के अनुदान	528.57	505.29	818.56	735.20	488.57
राज्य स्कीमों के लिए राज्य सरकार अनुदान	22.02	25.99	33.24	22.20	15.80
अन्य प्राप्ति	3.38	3.55	3.60	1.00	1.00
योग	**770.21**	**752.22**	**1117.81**	**1124.28**	**863.09**

टिप्पणी: केन्दीय प्रायोजित स्कीम हेतु भारत सरकार के अनुदान में कमी राज्य सरकार द्वारा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम के अंतर्गत निधियों की कम मांग के कारण थी।

1.4.3 संसाधनों का अनुप्रयोग: प्रवृत्ति एवं संयोजन

2008-09 से 2012-13 की अवधि के लिए पंचायती राज संस्थाओं के संसाधनों के अनुप्रयोग का विवरण **तालिका 5** में दिया गया है:

तालिका 5: क्षेत्रवार संसाधनों का अनुप्रयोग

(₹ करोड़ में)

	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
केन्द्रीय वित्त आयोग हस्तांतरणों से व्यय (केन्द्रीय वित्त आयोग अंतरण)	29.40	29.40	52.14	80.80	93.21
राज्य वित्त आयोग हस्तांतरणों से व्यय (राज्य वित्त आयोग अंतरण)	51.80	51.83	48.02	67.53	62.95
राज्य सरकार और केन्द्र सरकार से अनुदानों से व्यय	138.42	128.44	154.44	187.02	202.52
केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम पर व्यय	398.80	643.58	594.89	591.35	544.51
राज्य स्कीमों पर व्यय	21.31	25.24	32.18	21.49	16.26
योग	**639.73**	**878.49**	**881.67**	**948.19**	**919.45**

स्रोत: निदेशक, पंचायती राज और निदेशक, ग्रामीण विकास विभाग, हिमाचल प्रदेश।

यह पाया गया कि पंचायती राज विभाग द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को हस्तांतरित की गई समस्त निधियां व्यय के रूप में दर्शाई गई हैं। पंचायती राज संस्थाओं द्वारा किये गये व्यय की सही संख्या पंचायती राज विभाग के पास उपलब्ध नहीं थी।

1.5 पंचायती राज संस्थाओं में लेखा प्रणाली

पंचायती राज संस्थाऐं अपने लेखे हिमाचल प्रदेश पंचायती राज सामान्य नियमावली, 1997 के अंतर्गत निर्धारित प्रोफार्मा में अनुरक्षित करती हैं। ग्राम पंचायतों के लेखे निदेशक-एवं-विशेष, सचिव, पंचायती

राज एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा नियुक्त पंचायत सचिव तथा कार्यकारी अधिकारी-एवं-खंड विकास अधिकारी द्वारा अनुबंध आधार पर नियुक्त पंचायत सहायक द्वारा अनुरक्षित किए जाते हैं। पंचायत समितियों के मामले में विकासात्मक खंडों के लेखाकार लेखाओं को अनुरक्षित करते हैं। जिला परिषदों के लेखा जिला पंचायत अधिकारी-एवं-सचिव, जिला परिषद् के कार्यालय के सरकारी कर्मचारियों द्वारा अनुरक्षित किए जाते हैं।

ग्यारहवें वित्त आयोग ने अनुशंसा की थी कि नियंत्रक महालेखापरीक्षक को पंचायती राज संस्थाओं के सभी तीनों स्तरों के लेखा के अनुरक्षण पर नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण रखना चाहिए। नियंत्रक महालेखापरीक्षक और पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार ने 2009 में पंचायती राज संस्थाओं हेतु मॉडल लेखाकरण संरचना की अनुशंसा की थी। निदेशक, पंचायती राज विभाग ने कहा (अगस्त 2012) कि राज्य सरकार ने मॉडल लेखाकरण संरचना के अनुसार पंचायती राज संस्थाओं में लेखा के अनुरक्षण हेतु पंचायती राज मंत्रालय द्वारा विकसित सॉफ्टवेयर, प्रिया सॉफ्ट अपनाया था। वर्तमान में इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से आंकड़े अपलोड करने की प्रक्रिया निष्पादित की जा रही है।

1.6 लेखापरीक्षा व्याप्ति

प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), हिमाचल प्रदेश, नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (डी0पी0सी0) अधिनियम, 1971 के खंड 20(1) के अंतर्गत तकनीकी मार्गदर्शन एवं सहायता उपलब्ध करवाने के उत्तरदायित्व के साथ पंचायती राज संस्थाओं की लेखापरीक्षा संचालित करता है। 2012-13 के दौरान कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), हिमाचल प्रदेश द्वारा छः जिला परिषदों (12 में से), 19 पंचायत समितियों (77 में से)और 92 ग्राम पंचायतों (3,243 में से) के लेखाओं की लेखापरीक्षा संचालित की गई थी **(परिशिष्ट-2)**। महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा परिणामों पर निम्नवत परिच्छेदों में चर्चा की गई है।

1.7 पंचायती राज संस्थाओं की वित्तीय रिपोर्टिंग और उत्तरदायित्व की रूपरेखा (आंतरिक नियंत्रण प्रणाली)

राज्य सरकार द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के कुशल तथा प्रभावशाली परिचालन में मजबूत आंतरिक नियंत्रण प्रणाली महत्वपूर्ण योगदान देती है। वित्तीय नियमों, प्रक्रियाओं तथा निर्देशों की अनुपालना के साथ-साथ समयबद्धता ऐसी अनुपालना की प्रास्थिति पर रिपोर्टिंग की गुणवत्ता अच्छे परिचालन की विशेषताएं हैं। यदि अनुपालना तथा नियन्त्रणों पर प्रतिवेदन प्रभावशाली तथा प्रचालानात्मक हो तो वे दावेदारों की जिम्मेदारियों एवं निर्णय से आधारभूत योजना के साथ पंचायती राज संस्थाओं व सरकार को इसके आधारभूत प्रबंधन उत्तरदायित्वों को पूर्ण करने में सहयोग देता हैं। आंतरिक नियंत्रण प्रणाली में निम्नवत् विसंगतियां पाई गई थी:

1.7.1 पंचायती राज संस्थाओं की प्राथमिक लेखापरीक्षा

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 के खंड 118 में किए गए संशोधन के अनुसार स्थानीय लेखापरीक्षा विभाग को पंचायती राज संस्थाओं की लेखापरीक्षा करने का अधिकार दिया गया है। अभी तक विभाग में स्टाफ की कमी के कारण स्थानीय लेखापरीक्षा विभाग द्वारा पंचायती राज संस्थाओं की

लेखापरीक्षा संचालित नहीं की गई है। हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 के खंड 118 का उपखंड(1) में यह भी प्रावधान है कि आय और व्यय पर उचित वित्तीय नियंत्रण रखने के लिए पंचायती राज संस्थाओं के लेखाओं की लेखापरीक्षा हेतु निदेशक, पंचायती राज के नियंत्रण के अंतर्गत एक अलग और स्वतंत्र आंतरिक लेखापरीक्षा अभिकरण होगा। अप्रैल 2012 से मार्च 2013 के दौरान निदेशक, पंचायती राज के अंतर्गत लेखापरीक्षा स्कंध द्वारा संचालित की गई आंतरिक लेखापरीक्षा की स्थिति **तालिका 6** में दी गई है:

तालिका 6: आंतरिक लेखापरीक्षा की स्थिति

संस्था का नाम	कुल इकाइयां	लेखापरीक्षा हेतु योजनागत इकाइयों की संख्या	लेखापरीक्षा की गई इकाइयों की संख्या	गैर-लेखापरीक्षित इकाइयों की संख्या	कमी का प्रतिशत
(1) पंचायत समितियां	77	67	49	18	27
(2) ग्राम पंचायत	3243	2411	1474	937	39

स्रोत: निदेशक, पंचायती राज संस्था।

लेखापरीक्षा ने यह भी पाया कि निदेशक, पंचायती राज के अधीन लेखापरीक्षा स्कंध ने 2012-13 के दौरान किसी भी जिला परिषद् की आंतरिक लेखापरीक्षा की योजना नहीं बनाई थी। संयुक्त निदेशक, पंचायती राज संस्था ने कहा कि जिला परिषदों की आंतरिक लेखापरीक्षा नहीं की जा सकी थी क्योंकि उप नियंत्रक (लेखापरीक्षा) का पद रिक्त था और जिला लेखापरीक्षा अधिकारी का एक पद और पंचायत लेखापरीक्षकों के 22 पद भी रिक्त थे जिसके कारण पंचायत समितियों और ग्राम पंचायतों की लेखापरीक्षा योजना अनुसार नहीं की जा सकी थी।

1.7.2 बजट आकलनों को तैयार न किया जाना

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज नियमावली, 2002 के नियम 37 और 38 में प्रावधान है कि आने वाले वर्ष के लिए संभावित प्राप्तियां एवं व्यय दर्शाने वाले ग्राम पंचायतों, पंचायत समितियों एवं जिला परिषदों के वार्षिक बजट आकलन ग्राम सभा, पंचायत समिति अथवा जिला परिषद द्वारा जैसा भी मामला हो, बहुमत से, आगामी वित्त वर्ष के आरंभ से पूर्व तैयार और अनुमोदित किए जाने अपेक्षित हैं।

यह पाया गया कि एक जिला परिषद् (छः नमूना जांचित जिला परिषदों में से), आठ पंचायत समितियों (19 नमूना जांचित पंचायत समितियों में से) और 17 ग्राम पंचायतों (92 नमूना जांचित पंचायतों में से) ने 2008 और 2013 के मध्य की अवधि के लिए वार्षिक बजट आकलन तैयार नहीं किए थे। तथापि, इस अवधि के दौरान आकलनों के अनुमोदन के बिना ₹ 24.26[1] करोड़ का व्यय किया गया था जो हिमाचल प्रदेश पंचायती राज नियमावली, 2002 के विपरीत था **(परिशिष्ट-3)**।

तथ्यों को स्वीकार करते हुए सम्बंधित कार्यकारी अधिकारियों/सचिवों ने कहा (सितम्बर 2012-फरवरी 2013) कि कार्य की अधिकता के कारण बजट आकलन तैयार नहीं किए जा सके थे और भविष्य में ये समय पर तैयार किए जाएंगे।

[1] जिला परिषदें ₹ 5.14 करोड़ : पंचायत समितियां ₹ 14.49 करोड़ और ग्राम पंचायतें ₹ 4.63 करोड़।

1.7.3 पंजिकाओं का गैर-अनुरक्षण

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज नियमावली, 2002 का नियम 31 अनुबद्ध करता है कि प्रत्येक पंचायती राज संस्था हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (सामान्य) नियमावली, 1997 के नियम 34 में दिए गए महत्वपूर्ण अभिलेखों, पंजिका, प्रपत्रों आदि का अनुरक्षण करेगी।

यह पाया गया कि 2012-13 के दौरान लेखापरीक्षित **(परिशिष्ट-4)** एक पंचायत समिति और 22 ग्राम पंचायतों में महत्वपूर्ण पंजिकाएं जैसे स्टॉक पंजिका, अचल संपत्ति पंजिका, कार्य पंजिका, मस्टर रोल पंजिका अनुरक्षित नहीं की गई थी। अभिलेखों के गैर-अनुरक्षण के कारण वित्तीय लेन-देनों की संशुद्धि निश्चित नहीं की जा सकती थी। सम्बंधित कार्यकारी अधिकारियों/सचिवों ने तथ्यों को स्वीकारा (अप्रैल 2012-फरवरी 2013) और भविष्य में इन अभिलेखों के अनुरक्षण का विश्वास दिलाया।

1.7.4 निजी संसाधनों से आय और सहायता अनुदान/ऋणों के लेखाओं का अनुचित अनुरक्षण

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज नियमावली, 2002 के नियम 4 के अनुसार प्रत्येक ग्राम पंचायत और पंचायत समिति से निजी संसाधनों से आय और विशिष्ट उद्देश्यों के लिए प्राप्त सहायता अनुदान एवं ऋणों के अलग खाते रखे जाने अपेक्षित है। जहां पहले मामले में खाता 'क' अनुरक्षित किया जाना था, वहीं दूसरे मामले में खाता 'ख' अनुरक्षित किया जाना था।

यह पाया गया कि पांच ग्राम पंचायतों और एक पंचायत समिति[2] में खाते निर्धारित प्रारूप में अनुरक्षित नहीं किए गए थे और समस्त लेन-देन उपरोक्त नियम का उल्लंघन करते हुए अकेले खाते में किया जा रहा था जिसके कारण निजी संसाधनों से आय और प्राप्त किए गए सहायता अनुदान/ऋणों की संशुद्धि सत्यापित नहीं की जा सकी थी।

1.7.5 बैंक संमाधान विवरणी को तैयार करना

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज नियमावली, 2002 का नियम 15(10) (ख) प्रावधान करता है कि रोकड़ बही और बैंक खातों के शेष के मध्य किसी भी अंतर का समाधान प्रत्येक मास किया जाना अपेक्षित है। यदि इनमें कोई अन्तर होता है तो उसकी व्याख्या और स्पष्टीकरण पाद टिप्पणी के माध्यम से किया जाएगा।

तथापि यह पाया गया था कि वर्ष 2012-13 के अंत में 53 पंचायती राज संस्थाओं द्वारा रोकड़ बहियों और पास बुकों के मध्य ₹ 3.51 करोड़ के अंतर **(परिशिष्ट-5)** का समाधान नहीं किया गया था। बैंक विवरणियों के साथ समाधान न होने से इन पंचायती राज संस्थाओं के खातों की विश्वसनियता सुनिश्चित नहीं की जा सकती थी। सम्बंधित पंचायती राज संस्थाओं के अधिकारियों ने बताया (अप्रैल 2012-फरवरी 2013) कि अंतर का समाधान कर लिया जाएगा।

---

[2] पांच ग्राम पंचायतें: बांदी, दिष्टि, बाशा, दशेसड़ा तथा बग्गी (जिला मण्डी से सभी)
एक पंचायत समिति: तीसा (जिला चम्बा)।

1.7.6 वस्तुओं का गैर-लेखाकरण

ग्राम पंचायतों द्वारा स्टॉक पंजिका में वस्तुओं का लेखाकरण न करना।

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज नियमावली, 2002 के नियम 69 के अंतर्गत समस्त भंडार, जब प्राप्त किए जाते हैं, सुपुर्दगी के समय निरीक्षित, गणना, नापे अथवा तोले जाने, जैसा भी ममला हो, के लिए अपेक्षित होते हैं और उन्हें तत्काल स्टॉक पंजिका में दर्ज किया जाना चाहिए। इस हेतु किसी भी एक दिन की प्रविष्टियों के अंत पर ग्राम पंचायत अथवा पंचायत समिति या जिला परिषद् के सचिव, जैसा भी मामला हो, द्वारा प्राधिकृत प्रमाण पत्र भंडारों के आधिकारिक इंचार्ज द्वारा दिये जाने की अपेक्षा की जाती है जिसमें उल्लिखित होगा कि भंडार उपयुक्त स्थिति तथा विवरण के अनुसार प्राप्त किए गए हैं। भंडारों के आधिक्य पाए जाने की स्थिति में इन्हें अतिरिक्त प्राप्तियों के रूप में अंकित किया जाना चाहिए और न्यूनताएं, यदि कोई है, को लाल स्याही में इंगित किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त पूर्वोक्त हिमाचल प्रदेश पंचायती राज नियमावली 2002 का नियम 70 अनुबद्ध करता है कि भंडारों की मदें उचित मांगपत्र के प्रति जारी की जानी चाहिए।

बीस ग्राम पंचायतों में ₹1.59 करोड़ की लागत पर खरीदी गई भंडारों की मदें जैसे कि स्टील, टींबर, फर्निचर, हार्डवेयर आदि का स्टॉक पंजिका में लेखाकरण नहीं किया गया था **(परिशिष्ट-6)**। इन भंडारों के गैर-लेखाकरण की दशा में उठाईगीरी/हानि की संभावना को नकारा नहीं जा सकता। यह ग्राम पंचायतों के स्तर पर अप्रभावशाली पर्यवेक्षण का द्योतक था। प्रत्युत्तर में सम्बंधित ग्राम पंचायतों के सचिवों ने बताया (जून 2012-मार्च 2013) कि भंडारों की प्रविष्टि स्टॉक पंजिका में कर ली जाएगी। तथापि तथ्य यह रहा कि सम्बंधित ग्राम पंचायतों द्वारा लेखों के अनुरक्षण पर उचित नियंत्रण का अभाव था।

1.7.7 ₹ 1.13 करोड़ के कार्यों के लेखा का गैर-अनुरक्षण

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज नियमावली, 2002 के नियम 103 के अंतर्गत पंचायतों के संदर्भ में निष्पादन हेतु लिए गए कार्यों के लेखा सचिव द्वारा अथवा उसके अधीन अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा अनुरक्षित किए जाने अपेक्षित हैं। समस्त खरीदी गई वस्तुओं, किये गये भुगतानों की मूल रसीदों अथवा कार्यों के निष्पादन से संबद्ध समस्त अन्य अनुरक्षित अभिलेखों की लेखापरीक्षा की जानी होती है।

ग्राम पंचायत बघाईगढ़ (जिला चम्बा) की लेखापरीक्षा के दौरान पाया गया कि अप्रैल 2007 तथा अगस्त 2012 के मध्य ₹ 1.13 करोड़ की लागत के 54 कार्यों का निष्पादन आरंभ किया गया था लेकिन संस्वीकृत राशि, प्रयुक्त राशि की कार्य-वार विवरणी, कार्यों की भौतिक एवं वित्तीय प्रास्थिति अनुरक्षित नहीं की गई थी। ग्राम पंचायत के सचिव ने बताया (अक्तूबर 2012) कि आवश्यक अभिलेख भविष्य में अनुरक्षित किए जाएंगे।

1.7.8 13वें वित्त आयोग के अंतर्गत निधियों का अवरोधन

उन्नीस ग्राम पंचायतों में 13वें वित्त आयोग के अंतर्गत ₹ 15.38 लाख की निधियां अप्रयुक्त रही।

13वें वित्त आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुसार भारत सरकार द्वारा राज्य सरकार को जारी किये गये अनुदानों की प्रयुक्तता के लिए राज्य सरकार के खाते में क्रेडिट किए जाने की तिथि से 15 दिनों के भीतर

राज्य सरकार द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को हस्तांतरित कर दिए जाने थे और संस्वीकृतियों की तिथियों से छः मास की अवधि के भीतर कार्यों की समाप्ति सुनिश्चित की जानी चाहिए थी।

यह पाया गया कि 19 ग्राम पंचायतों में 2010-12 के दौरान 13वें वित्त आयोग के अंतर्गत ₹ 15.44 लाख की राशि प्राप्त की गई थी जिसमें से मार्च 2013 तक मात्र ₹ 0.06 लाख की राशि ही खर्च की गई थी तथा ₹15.38 लाख (**परिशिष्ट-7**) अप्रयुक्त पड़े थे, जिसके लिए सम्बंधित पंचायती राज संस्थाओं के सचिवों ने कोई कारण नहीं दिए थे। अतः उपलब्ध निधियों के उपयोग में विफलता के कारण निधियों का अनावश्यक अवरोधन हुआ और लाभार्थी अभिप्रेत लाभों से भी वंचित रहे।

1.7.9 बकाया निरीक्षण प्रतिवेदन

टी0जी0एस0 के अंतर्गत पंचायती राज संस्थाओं की लेखापरीक्षा के परिणामस्वरूप 2007-13 के दौरान कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), हिमाचल प्रदेश द्वारा सम्बंधित पंचायती राज संस्थाओं को 11,859 परिच्छेदों से युक्त 1760 निरीक्षण प्रतिवेदन जारी किये गये थे। इनमें से मार्च 2013 तक 59 परिच्छेदों का निपटारा किया गया तथा 1760 निरीक्षण प्रतिवेदन तथा 11,800 परिच्छेद् बकाया थे। ब्यौरा **तालिका 7** में दिया गया है:

तालिका 7: बकाया निरीक्षण प्रतिवेदन

क्रमांक	निरीक्षण प्रतिवेदन जारी किये जाने का वर्ष	31 मार्च 2012 तक बकाया निरीक्षण प्रतिवेदन/परिच्छेद्		संवर्धन (वर्ष के दौरान जारी निरीक्षण प्रतिवेदन/परिच्छेदों की संख्या)		योग		2012-13 के दौरान समायोजित किए गए निरीक्षण प्रतिवेदन/परिच्छेदों की संख्या		31 मार्च 2013 तक बकाया निरीक्षण प्रतिवेदन/परिच्छेद्	
		नि0प्र0	परिच्छेद्	नि0प्र0	परिच्छेद्	नि0प्र0	परिच्छेद्	नि0प्र0	परिच्छेद्	नि0प्र0	परिच्छेद्
1.	2007-08	528	2539	-	-	528	2539	-	-	528	2539
2.	2008-09	320	2558	-	-	320	2558	-	14	320	2544
3.	2009-10	336	2427	-	-	336	2427	-	18	336	2409
4.	2010-11	334	2389	-	-	334	2389	-	22	334	2367
5.	2011-12	126	1043	-	-	126	1043	-	05	126	1038
6.	2012-13	-	-	116	903	116	903	-	-	116	903
	योग	**1644**	**10956**	**116**	**903**	**1760**	**11859**	**-**	**59**	**1760**	**11800**

- **नि0प्र0-निरीक्षण प्रतिवेदन।**

बकाया निरीक्षण प्रतिवेदनों तथा परिच्छेदों की बढ़ती प्रवृत्ति लेखापरीक्षा प्रेक्षणों की गैर-अनुपालना का द्योतक है जिसके परिणामस्वरूप उत्तरदायित्व का क्षय हुआ।

अध्याय-2

पंचायती राज संस्थाओं की लेखापरीक्षा का परिणाम

अध्याय-2

पंचायती राज संस्थाओं की लेखापरीक्षा का परिणाम

2012-13 के दौरान संचालित की गई पंचायती राज संस्थाओं की लेखापरीक्षा में पाई गई कमियों पर आगामी परिच्छेदों में चर्चा की गई है।

2.1 राजस्व

2.1.1 गृह कर की गैर वसूली

इक्यावन ग्राम पंचायतों ने ₹ 12.14 लाख के गृह कर का उद्ग्रहण नहीं किया था।

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज नियमावली, 2002 के नियम 33 में प्रावधान है कि ग्राम पंचायत के सचिव का कार्य होगा कि समस्त राजस्व ठीक से, अविलम्ब और नियमित रूप से निर्धारित, उद्ग्रहित तथा सम्बंधित पंचायत की निधि के खाते में जमा करवाया जाता है।

इक्यावन ग्राम पंचायतों में मार्च 2013 तक 2006-13 की अवधि के लिए ₹ 12.14 लाख की राशि का गृह कर वसूला नहीं गया था **(परिशिष्ट-8)**। यह ग्राम पंचायतों की ओर से अप्रभावशाली देख-रेख का द्योतक था जिसके परिणामस्वरूप राजस्व, यदि इसकी वसूली न की गई हो, की हानि हो सकती है। इसके अतिरिक्त ग्राम पंचायतों ने हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 के खंड 114 में निहित प्रावधानों के अनुरूप गृह कर के गैर-भुगतान के लिए चूककर्त्ताओं पर दण्ड लगाने हेतु कोई कार्रवाई नहीं की थी। सम्बंधित ग्राम पंचायतों के सचिवों ने बताया (जून 2012-फरवरी 2013) कि गृह कर की बकाया वसूली के लिए प्रयास किए जाएंगे।

2.1.2 बकाया किराया

दस पंचायती राज संस्थाएं ₹ 35.77 लाख की राशि का दूकानों का किराया उद्ग्रहण करने में असफल रही।

जिला परिषदें, पंचायत समितियां और ग्राम पंचायतें अपने अधिकार क्षेत्र में दूकानों का अनुरक्षण कर रही थी और ये मासिक किराया आधार पर जनता को किराये पर दी गई थी।

अभिलेखों की संवीक्षा में पाया गया कि दस पंचायती राज संस्थाओं में मार्च 2013 तक 136 दूकानों के किराये के रूप में ₹ 35.77 लाख[3] की राशि 2003-04 से 2012-13 की अवधि से बकाया थी **(परिशिष्ट-9)**। सम्बंधित पंचायती राज संस्थाओं ने बताया (अप्रैल 2012-मार्च 2013) कि चूककर्त्ताओं को बकाया किराया तत्काल जमा करवाने के लिए सूचना भिजवाई गई थी, अन्यथा दूकानों को खाली करवाने के लिए आवश्यक कदम उठाए जायेंगे।

---

[3] जिला परिषद्: ₹ 0.43 लाख, पंचायत समितियां: ₹ 33.44 लाख तथा ग्राम पंचायतें: ₹ 1.90 लाख।

2.1.3 आपूर्तिकर्त्ताओं से रायल्टी की गैर-वसूली

तीस ग्राम पंचायतों ने आपूर्तिकर्त्ताओं से ₹ 5.04 लाख की राशि की रायल्टियां वसूल नहीं की थी।

राज्य सरकार के निर्देशों (फरवरी 1999) के अनुसार फार्म 'एम' रेत तथा बजरी के आपूर्तिकर्त्ताओं द्वारा आपूर्ति के लिए खनन अधिकारी से लेना होता है जो प्रमाणित करता है कि उन्होंने रायल्टी पहले ही अदा कर दी है। उपरोक्त फार्म की गैर-प्रस्तुती के मामले में ग्राम पंचायत द्वारा आपूर्तिकर्त्ताओं के बिलों से ₹ 20 प्रति मीट्रीक टन की दर पर रायल्टी वसूल की जानी है और उद्ग्रहीत राशि राज्य सरकार को भेजी जानी है। 2006-13 के दौरान 30 ग्राम पंचायतों ने आपूर्तिकर्त्ताओं से फार्म 'एम' लिए बिना 25297.58 मीट्रीक टन सामान जैसे रेत, बजरी आदि की खरीद की थी और ₹ 5.04 लाख **(परिशिष्ट-10)** की राशि की रायल्टी आपूर्तिकर्त्ताओं के बिलों से वसूली नहीं की गई जिसके परिणामस्वरूप राज्य सरकार को राजस्व घाटा हुआ। सम्बंधित ग्राम पंचायतों के सचिवों ने बताया (जुलाई 2012-फरवरी 2013) कि राज्य सरकार के संबद्ध निर्देशों की जानकारी के अभाव के कारण आपूरित सामान की रायल्टी आपूर्तिकर्त्ता के बिलों से काटी नहीं जा सकी थी। तथापि, उन्होंने विश्वास दिलाया कि इस सम्बंध में राज्य सरकार के निर्देशों का भविष्य में पालन किया जायेगा।

2.1.4 शुल्कों की गैर-वसूली

उन्नीस ग्राम पंचायतों में मोबाइल टावरों के अधिष्ठापन/नवीकरण प्रभारों के आधार पर ₹ 4.02 लाख का राजस्व अनुद्ग्रहीत रहा।

हिमाचल प्रदेश सरकार ₹ 4,000 प्रति टावर की दर पर मोबाइल संचार टावरों के अधिष्ठापन पर शुल्क लगाने के लिए ग्राम पंचायतों को प्राधिकृत (नवम्बर 2006) करती है और उनके अधिकार क्षेत्र में अधिष्ठापित प्रति टावर ₹ 2,000 की दर पर वार्षिक नवीकरण फीस का संग्रहण करती है।

उन्नीस ग्राम पंचायतों मे 2006-10 के दौरान उनके अधिकार क्षेत्र में 35 मोबाइल टावर अधिष्ठापित किए गए थे लेकिन मार्च 2013 तक सम्बंधित मोबाइल कम्पनियों से ₹ 4.02 लाख के अधिष्ठापन/नवीकरण प्रभारों की वसूली नहीं की गई थी **(परिशिष्ट-11)**। इसने ग्राम पंचायतों को उनके देय राजस्व अंश से वंचित किया। ग्राम पंचायतों के सम्बंधित सचिवों ने बताया (अप्रैल 2012-जनवरी 2013) कि देयों की शीघ्र वसूली के लिए कार्रवाई की जाएगी।

2.2 बकाया अग्रिम

आठ ग्राम पंचायतों और एक पंचायत समिति ने ₹ 12.01 लाख के बकाया अग्रिमों की वसूली/समायोजन के लिए कार्रवाई नहीं की थी।

(क) हिमाचल प्रदेश पंचायती राज नियमावली, 2002 का नियम 30 प्रावधान करता है कि जब भी ग्राम पंचायत के कार्यालय वाहक अथवा अधिकारी/कर्मचारी को विकासात्मक निर्माण कार्य चलाने के लिए

किसी अग्रिम का भुगतान किया जाता है, उसका रिकार्ड अस्थायी अग्रिमों की पंजिका में रखा जाना चाहिए और ऐसे अग्रिमों का समायोजन नियमित रूप से तथा शीघ्रता से होना चाहिए।

सात ग्राम पंचायतों तथा एक पंचायत समिति के अभिलेखों की संवीक्षा में पाया गया कि 1990 से 2012 के मध्य विभिन्न कार्यालय वाहकों जैसे कि प्रधानों, उप-प्रधानों, वार्ड सदस्यों, अनिर्वाचित कर्मचारियों तथा पंचायत कर्मचारियों को विकासात्मक गतिविधियां आरम्भ करने के लिए ₹ 11.91 लाख के कुल अग्रिमों का भुगतान किया गया था लेकिन यह मार्च 2013 तक असमायोजित रहा **(परिशिष्ट-12)**। इन अग्रिमों की वसूली/समायोजन के लिए किए गए प्रयासों को दर्शाने वाला कोई अभिलेख नहीं था। इनमें से कुछ मामलों में अग्रिम एक से 23 वर्षों की अवधि के लिए बकाया थे। इन अग्रिमों का गैर-समायोजन निधियों के दुर्विनियोजन के जोखिम से अंतर्ग्रस्त है।

इसे चिह्नित करने पर सम्बंधित पंचायती राज संस्थाओं ने बताया (जुलाई 2012-फरवरी 2013) कि इन अग्रिमों की वसूली के लिए प्रयास किए जायेंगे।

(ख) लेखापरीक्षा के दौरान यह पाया गया कि ग्राम पंचायत बघाईगढ़ (जिला चम्बा) के पंचायत सचिव को दिसम्बर 2006 में ₹ 10,849 के अग्रिम का भुगतान किया गया था। तथापि कर्मचारी ने जुलाई 2008 में उसके स्थानांतरण से पूर्व ₹ 1000 के समायोजन के लिए वाऊचर जमा करवा दिये थे। जहां रोकड़ बही में ₹ 1000 के अग्रिम का समायोजन कर दिया गया था, वहीं मार्च 2013 तक ₹ 9,849 की शेष राशि असमायोजित/गैर-वसूली रही थी। अत: ग्राम पंचायत की निष्क्रियता के कारण सम्बंधित सचिव के पास छ: वर्षों से अधिक समय के लिए ₹ 9,849 की राशि पड़ी रही, जो निधियों के दुर्विनियोजन के समान था।

2.3 निविदाएं आमंत्रित किए बिना वस्तुओं की खरीद

तैंतालिस पंचायती राज संस्थाओं ने दर सूची/निविदाएं आमंत्रित किए बिना ₹ 1.90 करोड़ के मूल्य की वस्तुओं की खरीद की।

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज नियमावली, 2002 का नियम 67(5) (क) व (ख) प्रावधान करता है कि ₹ 50,000 से अधिक के भंडार की खरीद के लिए निविदांए आमंत्रित की जानी चाहिए और ₹ 1,000 से अधिक किन्तु ₹ 50,000 से कम के भंडार की खरीद दर सूची आमंत्रित करके की जानी चाहिए।

यह पाया गया कि एक जिला परिषद, एक पंचायत समिति और 41 ग्राम पंचायतों में 2006-13 के दौरान दरसूचियां आमंत्रित किए बिना ₹ 1.90 करोड़ के मूल्य की वस्तुएं खरीदी गई **(परिशिष्ट-13)**। इस प्रकार वस्तुओं की खरीद निर्धारित प्रक्रियाओं,जैसा कि पूर्वोक्त नियम में प्रकल्पित था, को ध्यान में रखे बिना की गई। सम्बंधित पंचायती राज संस्थाओं के कार्यकारी अधिकारियों/सचिवों ने कहा (अप्रैल 2012-फरवरी 2013) कि भविष्य में उचित दर सूचियां/निविदाएं आमंत्रित किए जाने के बाद ही खरीददारी की जाएगी।

2.4 निर्माण कार्यों को आरंभ न किए जाने के कारण निधियों का अवरोधन

पंचायती राज संस्थाओं द्वारा निर्माण कार्य आरंभ न किए जाने के कारण ₹ 62.87 लाख की निधियां अप्रयुक्त रही।

अभिलेखों की संवीक्षा में पाया गया कि एक जिला परिषद्, तीन पंचायत समितियों और 10 ग्राम पंचायतों **(परिशिष्ट-14)** के पास 2007-12 के दौरान ₹ 3.73 लाख का अथ शेष था और 87 निर्माण कार्यों के निष्पादन हेतु 2007-08 एवं 2011-12 के मध्य ₹ 59.14 लाख प्राप्त किया था। तथापि ₹ 62.87 लाख की निधियों की कुल उपलब्धता के प्रति मार्च 2013 तक निर्माण कार्यों के निष्पादन पर कोई व्यय नहीं किया गया था। अत: विकासात्मक निर्माण कार्यों के लिए निधियों के अनुपयोग के परिणामस्वरूप निधियों का अवरोधन हुआ और अभिप्रेत लाभार्थी लाभों से भी वंचित रहे थे। सम्बंधित पंचायती राज संस्थाओं के कार्यकारी अधिकारियों/सचिवों ने बताया (अप्रैल 2012-फरवरी 2013) कि भूमि-विवाद, अदालती कार्यवाही तथा सीमित कार्य मौसम आदि के कारण निर्माण कार्य आरम्भ नहीं किए जा सके थे। उत्तर विश्वसनीय नहीं है क्योंकि निर्माण कार्यों की संस्वीकृति लेने तथा निधियन अभिकरणों से निधियों के जारी किए जाने से पूर्व विवादों को निपटाया जा सकता था।

2.5 संदेहपूर्ण विस्तारण

2.5.1 श्रमिकों को भुगतान में अनियमितताएं

छ: ग्राम पंचायतों ने एक ही अवधि में विविध कार्यों पर समान श्रमिकों की तैनाती दर्शाई।

अभिलेखों की संवीक्षा में पाया गया कि छ: ग्राम पंचायतों में 2007-11 के दौरान एक ही अवधि में विविध भर्ती नामावलियों पर विविध कार्यों हेतु समान श्रमिकों की तैनाती दर्शाई गई थी जिसके परिणामस्वरूप संदेहपूर्ण विस्तारण हुआ और ₹ 1.36 लाख की मजदूरी का दोगुना भुगतान हुआ **(परिशिष्ट-15)**। स्कीमों/निर्माण कार्यों के नाम, जिनके लिए ये भर्ती नमावलियां जारी की गई थी, अधिकतर भर्ती नामावलियों में उल्लेखित नहीं किए गए थे जो अप्रभावशाली आंतरिक नियंत्रण तंत्र का द्योतक था। ग्राम पंचायतों के सम्बंधित सचिवों ने बताया (अप्रैल 2012-दिसम्बर 2012) कि मामले की जांच की जाएगी और तदानुसार कार्रवाई की जाएगी।

2.5.2 अनियमित भुगतान

ग्राम पंचायत बैरागढ़ ने कैलेंडर मासों की अवास्तविक तिथियों के लिए ₹ 0.03 लाख की राशि की मजदूरियों का भुगतान किया।

ग्राम पंचायत बैरागढ़ (जिला चम्बा) के अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया कि सितम्बर तथा नवम्बर 2007 के मासों की भर्ती नामावलियों के प्रति श्रमिकों को 30 दिनों के स्थान पर 31 दिनों की मजदूरी का भुगतान किया गया था। अत: श्रमिकों को ₹ 3253 का अधिक भुगतान किया गया था। इसके अतिरिक्त 'पक्की गली पर्दा के निर्माण' कार्य से सम्बंधित भर्ती नामावलियों के प्रति जुलाई 2010 में ₹ 54,630 का भुगतान किया गया था जबकि श्रमिकों को भुगतान योग्य कुल राशि ₹ 54,030 निश्चित हुई थी। इसके

परिणामस्वरूप ₹ 600 का अधिक भुगतान भी हुआ। तथ्यों को स्वीकार करते हुए सम्बंधित ग्राम पंचायत के प्रधान ने बताया (अक्तूबर 2012) कि अधिक भुगतान गलतीवश हुआ था और इसकी वसूली कर ली जायेगी। तथापि तथ्य यह रहा कि भर्ती नामावलियों के प्रति अधिक भुगतान के जोखिमों से बचने के लिए क्षेत्रीय स्टाफ द्वारा भर्ती नामावलियों के तैयार किए जाने की कोई देख-रेख नहीं की जा रही थी।

2.6 महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम का कार्यान्वयन

स्कीम का मुख्य उद्देश्य प्रत्येक घर, जिसके व्यस्क सदस्य कौशलहीन हस्त सम्बंधी कार्य करने हेतु स्वयं सेवक हो, को एक वित्त वर्ष में गारंटीशुदा मजदूरी रोजगार के न्यूनतम 100 दिन उपलब्ध करवाने हेतु ग्रामीण क्षेत्रों में जीविका सुरक्षा का संवर्द्धन करना है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के कार्यान्वयन हेतु जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों के माध्यम से ग्राम पंचायतों द्वारा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम से सम्बंधित निधियां प्राप्त की जा रही हैं। पंचायती राज संस्थाओं की लेखापरीक्षा के दौरान स्कीम के कार्यान्वयन में पाई गई अनियमितताओं पर चर्चा आगामी परिच्छेदों में की गई है।

2.6.1 मजदूरी सामग्री अनुपात का गैर-अनुरक्षण

सोलह ग्राम पंचायतें निर्धारित मजदूरी सामग्री अनुपात का पालन करने में असफल रही और इसके कारण श्रम संघटक पर ₹ 51.10 लाख का कम प्रावधान किया।

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम निर्देशों का परिच्छेद 7.4.1 अनुबद्ध करता है कि मजदूरी लागत से सामग्री लागत का अनुपात 60:40 के न्यूनतम मानक से कम नहीं होना चाहिए। यह अनुपात ग्राम पंचायत द्वारा आरंभ किए गए समस्त निर्माण कार्यों हेतु ग्राम पंचायत स्तर पर और समस्त अन्य अभिकरणों द्वारा आरंभ किए गए निर्माण कार्यों हेतु यह खंड/मध्यवर्ती पंचायत स्तर पर अनुरक्षित किया जाना चाहिए। लेखापरीक्षा में पाया गया कि 16 ग्राम पंचायतों में 2008-13 के दौरान ₹ 3.93 करोड़ की कुल लागत पर 393 निर्माण कार्य निष्पादित किए गए थे। मजदूरी पर किए जाने वाले ₹ 2.35 करोड़ के अपेक्षित व्यय के प्रति मजदूरी संघटक पर व्यय की गई राशि ₹ 1.85 करोड़ थी। अत: मजदूरी संघटक हेतु उच्च दर निर्धारित करने का उद्देश्य असफल रहा जिसके परिणामस्वरूप रोजगार निर्माण के लिए ₹ 51.10 लाख **(परिशिष्ट-16)** की निधियों की कम उपलब्धता रही। ग्राम पंचायतों के कुछ सचिवों ने कारण बताया (अक्तूबर 2012-फरवरी 2013) कि निर्धारित दरों का गैर-अनुरक्षण इस संदर्भ में आदेशों की गैर-प्राप्तियों के कारण था, जबकि अन्य द्वारा निर्धारित मजदूरी तथा सामग्री अनुपात का पालन नहीं किए जाने के कोई कारण उपलब्ध नहीं करवाए गए थे।

2.6.2 श्रम भुगतान जारी किये जाने में विलम्ब

तेरह ग्राम पंचायतों ने श्रमिकों की ₹ 1.09 करोड़ की मजदूरी में एक से 690 दिनों की अवधि का विलम्बित भुगतान किया।

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम के परिच्छेद 7.1.5 के निर्देशों के अनुसार मजदूरों को साप्ताहिक आधार पर मजदूरियों का भुगतान किया जाना था और किसी भी मामले में उस तिथि, जिस पर

कार्य समाप्त किया गया था, से पंद्रह दिनों से ज्यादा नहीं। पंद्रह दिनों से अधिक के विलम्ब के मामले में मजदूर 'मजदूरी भुगतान अधिनियम, 1936' के प्रावधानों के अनुसार प्रतिपूर्ति के हकदार थे। लेखापरीक्षा में पाया गया कि 13 ग्राम पंचायतों ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम के अंतर्गत मजदूरों को ₹ 1.09 करोड़ का भुगतान एक से 690 दिनों **(परिशिष्ट-17)** के विलम्ब के पश्चात किया जोकि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम निर्देशों के प्रावधानों के विपरीत था। विलंबित भुगतान के लिए श्रमिकों को किसी प्रतिपूर्ति का भुगतान नहीं किया गया था। सम्बंधित ग्राम पंचायतों के सचिवों ने बताया (दिसम्बर 2012-मार्च 2013) कि मजदूरी के भुगतान में विलम्ब खंड विकास अधिकारियों से निधियों की प्राप्ति और निर्माण कार्यों के मूल्यांकन में विलम्ब के कारण हुआ था।

अध्याय-3

शहरी स्थानीय निकायों की रूपरेखा

अध्याय-3

शहरी स्थानीय निकायों की रूपरेखा

3.1 शहरी स्थानीय निकायों की पृष्ठभूमि

74वें संवैधानिक संशोधन ने शक्ति के विकेन्द्रीकरण और शहरी स्थानीय निकायों के लिए निधियों एवं पदाधिकारियों सहित संविधान की बारहवीं अनुसूची में सूचीबद्ध 18 कार्यों के हस्तांतरण का मार्ग प्रशस्त किया। यद्यपि अग्निशमन सेवाओं को छोड़कर शहरी स्थानीय निकायों को सभी 18 कार्य हस्तांतरित हैं (अगस्त 1994), तो भी निधियां एवं पदाधिकारी शहरी स्थानीय निकायों को हस्तांतरित किए जाने शेष थे। 74वें संवैधानिक संशोधन के प्रावधानों को अंतर्विष्ट करने के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार (स्थानीय स्वशासन) ने हिमाचल प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1994 तथा हिमाचल प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1994 शहरी स्थानीय निकायों को शक्तियों एवं उत्तरदायित्वों के हस्तांतरण के लिए नियम बनाए। तथापि कुछ अनिवार्य एवं विवेकपूर्ण कार्य जैसे सड़कों, गलियों, गलियों की लाइटें, सफाई इत्यादि का अनुरक्षण इन अधिनियमों के लागू किए जाने से पहले शहरी स्थानीय निकायों द्वारा क्रियान्वित किए जाते थे।

3.2 लेखापरीक्षा अधिदेश

हिमाचल प्रदेश में शहरी स्थानीय निकायों की लेखापरीक्षा निदेशक, स्थानीय लेखापरीक्षा विभाग द्वारा संचालित की जाती है। राज्य सरकार ने शहरी स्थानीय निकायों की लेखापरीक्षा नियंत्रक महालेखापरीक्षक के डी0पी0सी0 अधिनियम, 1971 की धारा 20(1) के अंतर्गत तकनीकी मार्गदर्शन एवं सहायता उपलब्ध करवाने के उत्तरदायित्व सहित नियंत्रक महालेखापरीक्षक को सुपुर्द की (मार्च 2011)। लेखापरीक्षा के परिणाम वार्षिक तकनीकी निरीक्षण प्रतिवेदन में अन्तर्निहित हैं।

3.3 शहरी स्थानीय निकायों का संगठनात्मक ढांचा

राज्य में एक नगर निगम, 25 नगर परिषदें तथा 23 नगर पंचायतें हैं।

शहरी स्थानीय निकायों का सम्पूर्ण नियंत्रण प्रधान सचिव (शहरी विकास) हिमाचल प्रदेश सरकार के पास निदेशक, शहरी विकास विभाग के माध्यम से निहित है। शहरी स्थानीय निकायों का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत है:

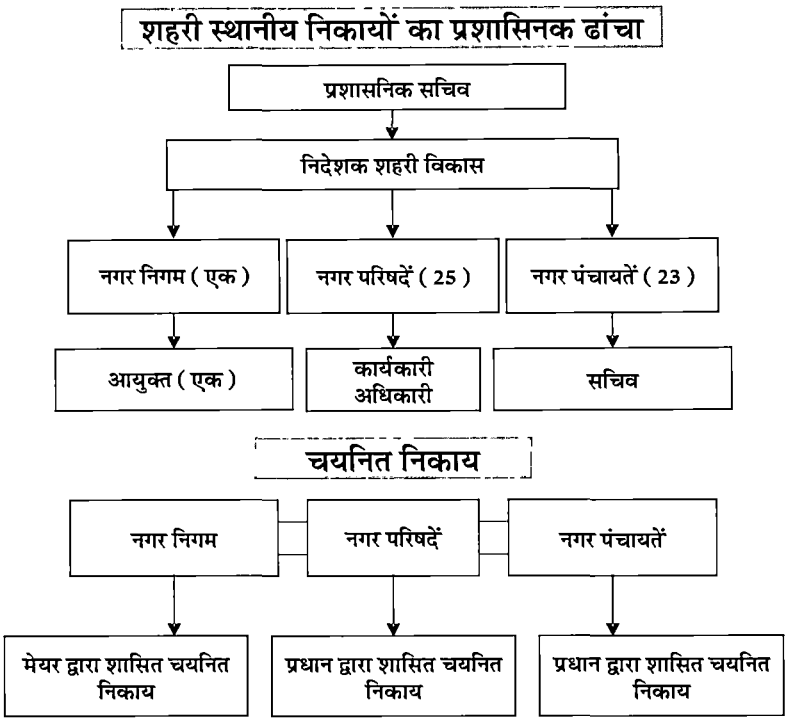

3.3.1 स्थायी समितियां

वित्तीय मामलों तथा स्कीमों के क्रियान्वयन में अंतर्विष्ट विभिन्न स्थाई समितियों का वर्णन **तालिका 8** में दिया गया है:

तालिका 8: स्थाई समितियों के नियम एवं उत्तरदायित्व

शहरी स्थानीय निकाय का स्तर	स्थाई समिति का नाम	द्वारा शासित स्थाई समिति	स्थाई समिति के नियम एवं उत्तरदायित्व
शहरी स्थानीय निकाय	सामान्य स्थाई समिति	नगर निगम में मेयर तथा नगर परिषद्/नगर पंचायत में प्रधान	स्थापना मामलों, सम्प्रेषणों, भवनों, शहरी आवास तथा प्राकृतिक आपदाओं, जलापूर्ति एवं समस्त अवशिष्ट मामलों के प्रति राहत के प्रावधान के सम्बंध में कार्यों का निष्पादन करती है।
	वित्त, लेखापरीक्षा एवं योजना समिति		नगरपालिका के वित्त, बजट का निर्माण, राजस्व वृद्धि के लक्षणों की संवीक्षा, प्राप्तियों एवं व्यय विवरणों की जांच, आदि से सम्बंधित कार्यों का निष्पादन करती है।
	सामाजिक न्याय समिति	नगर निगम में डिप्टी मेयर तथा नगर परिषद्/नगर पंचायत में प्रधान	शिक्षा एवं आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन जाति एवं पिछड़ा वर्ग, महिलाओं एवं समाज के अन्य कमजोर वर्गों के दूसरे हितों की प्रोन्नति से सम्बंधित कार्यों का निष्पादन करती है।

3.3.2 स्कीमों के क्रियान्वयन के लिए संस्थागत व्यवस्थाएं

शहरी विकास निदेशालय में शहरी स्थानीय निकायों द्वारा विभिन्न स्कीमों के क्रियान्वयन की देख-रेख करने के लिए परियोजना अनुभाग में एक परियोजना अधिकारी तथा दो सांख्यिकीय सहायकों की तैनाती की गई है। 3571 संस्वीकृत पदों में से 31 मार्च, 2012 तक शहरी स्थानीय निकायों में विभिन्न श्रेणियों

के 655 (18.3 प्रतिशत) पद रिक्त पड़े थे और नगर निगम शिमला में 240 कर्मचारी अधिक थे **(परिशिष्ट-18)**। पदों की अधिकता के प्रचालन के सम्बंध में कोई स्पष्टीकरण अग्रेषित न करते हुए आयुक्त, नगर निगम शिमला ने बताया (नवम्बर 2013) कि मूलभूत सुविधाओं जैसे जलापूर्ति, सड़कों का निर्माण, निकासों एवं रास्तों इत्यादि तथा आम जनता हेतु स्वच्छता की व्यवस्था के लिए पर्याप्त मात्रा में मजदूरों की आवश्यकता होती है। आयुक्त, नगर निगम ने बताया कि कुछ चालकों की विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत खरीदे गए वाहनों को चलाने के लिए तैनाती की गई। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि तैनात किए गये स्टाफ की अधिकता के प्रति पदों की संख्या को सक्षम प्राधिकारी से संस्वीकृत करवाना अनिवार्य है। शहरी विकास विभाग की प्रशिक्षण योजना का अनुमोदन राज्य सरकार द्वारा प्रशिक्षण नियमावली में निर्धारित प्रशिक्षण विवरण के आधार पर दिया गया है। इसके अतिरिक्त, शहरी स्थानीय निकायों के कर्मचारी प्रशिक्षण के लिए समय समय पर विभिन्न संस्थाओं/विभागों में नियुक्त भी किए गये।

3.4 वित्तीय रूपरेखा

3.4.1 शहरी स्थानीय निकायों को निधियों का प्रवाह

विभिन्न विकासशील कार्यों के निष्पादन के लिए शहरी स्थानीय निकाय भारत सरकार तथा राज्य सरकार से मुख्यत: अनुदान के रूप में निधियां प्राप्त करते हैं। भारत सरकार के अनुदान में केन्द्रीय वित्त आयोग की सिफारिशों के अंतर्गत दिये गए अनुदान तथा विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए अनुदान शामिल हैं। राज्य सरकार के अनुदान राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों पर कुल कर राजस्व की निवल आमदनी के हस्तांतरण तथा राज्य प्रायोजित स्कीमों के क्रियान्वयन के लिए अनुदानों द्वारा प्राप्त होते हैं। इसके अतिरिक्त शहरी स्थानीय निकायों द्वारा राजस्व करों, किराया, शुल्कों, लाइसेंस जारी करने इत्यादि से भी लामबद्ध हुआ है। प्रत्येक चरण के लिए निधिवार स्रोत एवं इसका संरक्षण तथा सर्वोत्कर्ष स्कीमों में निधि प्रवाह व्यवस्थाएं **तालिका**-9 तथा 10 में दी गई हैं:

तालिका 9: निधि प्रवाह: शहरी स्थानीय निकायों में निधियों का स्रोत एवं संरक्षण

निधि की प्रकृति	नगर निगम		नगर परिषदें		नगर पंचायतें	
	निधि का स्रोत	निधि का संरक्षण	निधि का स्रोत	निधि का संरक्षण	निधि का स्रोत	निधि का संरक्षण
निजी राजस्व	नगर निगम	बैंक	नगर परिषदें	बैंक	नगर पंचायतें	बैंक
राज्य योजना	राज्य सरकार	बैंक	राज्य सरकार	बैंक	राज्य सरकार	बैंक
राज्य वित्त आयोग	राज्य सरकार	बैंक	राज्य सरकार	बैंक	राज्य सरकार	बैंक
केन्द्रीय वित्त आयोग	भारत सरकार	बैंक	भारत सरकार	बैंक	भारत सरकार	बैंक
केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमें	भारत सरकार	बैंक	भारत सरकार	बैंक	भारत सरकार	बैंक

भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार केन्द्रीय तथा राज्य प्रायोजित स्कीमों के निष्पादन के लिए शहरी स्थानीय निकायों द्वारा जहां केन्द्रीय एवं राज्य अनुदान प्रयुक्त किए गये हैं,

शहरी स्थानीय निकायों की निजी प्राप्तियां प्रशासनिक व्ययों एवं शहरी स्थानीय निकायों द्वारा बनाई गई स्कीमों/कार्यों के निष्पादन के लिए प्रयुक्त की गई हैं।

तालिका 10: प्रमुख केन्द्रीय प्रायोजित सर्वोत्कर्ष स्कीमों में निधि प्रवाह व्यवस्थाएं

क्रमांक	स्कीम	निधि प्रवाह व्यवस्थाएं
1.	स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना	स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना के अन्तर्गत केन्द्र तथा राज्य के मध्य निधियन हिस्सेदारी 75:25 के अनुपात में है। केन्द्रीय हिस्सेदारी राज्य सरकार को डिमाण्ड ड्राफ्ट के रूप रूप में जारी की गई है तथा राज्य की हिस्सेदारी राज्य बजट के माध्यम से बांटी गई है।
2.	लघु एवं मध्यम कस्बों के लिए शहरी अवसंरचना विकास स्कीम	सहायता अनुदान केन्द्र तथा राज्य सरकार द्वारा 80:10 के अनुपात में बांटा गया है तथा शेष 10 प्रतिशत शहरी स्थानीय निकायों द्वारा स्वयं के स्रोतों से व्यवस्थित किया जाना है।
3.	एकीकृत गृह एवं झुग्गी विकास कार्यक्रम	स्कीम की लागत का अस्सी प्रतिशत केन्द्र से सहायता अनुदान के रूप में प्रवाहित होता है। शेष 20 प्रतिशत राज्य सरकार, शहरी स्थानीय निकायों, अर्ध राजकीय अभिकरणों द्वारा बांटा जाता है। शहरी स्थानीय निकाय अपना अंशदान स्वयं के संसाधनों अथवा लाभान्वित अंशदान से संवर्धित करते हैं।
4.	शहरी अवसंरचना एवं शासन	शहरी अवसंरचना एवं शासन के अर्न्तगत केन्द्र, राज्य तथा शहरी स्थानीय निकायों के मध्य निधियन हिस्सेदारी 80:10:10 के अनुपात में है। भारत सरकार द्वारा केन्द्रीय हिस्सेदारी की संस्वीकृति राज्य सरकर को जारी की गई है। तद्नुसार, इस स्कीम के अन्तर्गत केन्द्रीय हिस्सेदारी एवं राज्य हिस्सेदारी राज्य बजट के द्वारा शहरी स्थानीय निकायों को जारी की गई है। शहरी स्थानीय निकायों ने अपना अंशदान वित्तीय संस्थाओं से सम्वर्धित किया है।
5.	शहरी निर्धनों को मूलभूत सेवा	स्कीम की लागत का अस्सी प्रतिशत केन्द्र से सहायता अनुदान के रूप में प्रवाहित होता है। शेष 20 प्रतिशत राज्य सरकार, शहरी स्थानीय निकायों तथा अर्ध राजकीय अभिकरणों द्वारा बांटा जाता है। शहरी स्थानीय निकाय अपना अंशदान लाभान्वित अंशदान से सम्वर्धित करते हैं।

3.4.2 संसाधनः प्रवृत्तियां एवं संघटन

शहरी स्थानीय निकायों के 2008-13 अवधि के लिए संसाधनों का **तालिका 11** में वर्णन दिया गया है:

तालिका 11: शहरी स्थानीय निकायों के संसाधनों पर समयावली आंकड़े

(₹ करोड़ में)

	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
निजी राजस्व	46.98	50.87	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
केन्द्रीय वित्त आयोग हस्तांतरण (वित्त आयोग अंतरण)	1.60	1.60	7.77	24.30	30.97
राज्य सरकार वित्त आयोग हस्तांतरण (राज्य वित्त आयोग अंतरण)	41.76	41.77	46.12	51.88	57.07
राज्य सरकार से अनुदान	22.39	20.45	31.30	33.72	74.11
केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों के लिए भारत सरकार से अनुदान	13.25	52.57	19.50	25.83	3.90
राज्य योजनाओं के लिए राज्य सरकार से अनुदान	59.90	63.82	85.19	109.90	78.01
योग	**185.88**	**231.08**	**189.88**	**245.63**	**244.06**

टिप्पणी: शहरी स्थानीय निकायों के संदर्भ में 'निजी राजस्व' के आंकड़े निदेशालय में स्टाफ की कमी के कारण निदेशालय स्तर पर समेकित नहीं किए जा रहे हैं।

स्रोत: निदेशक, शहरी विकास।

3.4.3 संसाधनों का अनुप्रयोग: प्रवृत्तियां एवं संघटन

2008-09 से 2012-13 की अवधि के लिए शहरी स्थानीय निकायों के संसाधनों के अनुप्रयोग **तालिका 12** में दिए गये हैं:

तालिका 12: क्षेत्रवार संसाधनों का अनुप्रयोग

(₹ करोड़ में)

	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
निजी राजस्व से व्यय	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
केन्द्रीय वित्त आयोग हस्तांतरणों से व्यय (केन्द्रीय वित्त आयोग अंतरण)	1.60	1.60	7.77	24.30	30.97
राज्य वित्त आयोग हस्तांतरणों से व्यय (राज्य वित्त आयोग अंतरण)	41.76	41.77	46.12	51.88	57.07
राज्य सरकार एवं केन्द्रीय सरकार से अनुदानों का व्यय	102.10	110.17	85.81	110.45	78.01
योग	**145.46**	**153.54**	**139.70**	**186.63**	**166.05**

स्रोत: निदेशक, शहरी विकास।

यह पाया गया कि शहरी स्थानीय निकायों को शहरी विकास निदेशालय द्वारा हस्तांतरित सभी निधियों को व्यय के रूप में दर्शाया गया है। शहरी स्थानीय निकायों द्वारा किए गये व्यय का सही आंकड़ा शहरी विकास निदेशालय के पास उपलब्ध नहीं था।

3.5 लेखापरीक्षा व्याप्ति

2012-13 के दौरान नगर निगम, शिमला, छः नगर परिषदों[4] तथा आठ नगर पंचायतों[5] के अभिलेखों की नमूना जांच की गई थी **(परिशिष्ट-2)**। महत्त्वपूर्ण लेखापरीक्षा परिणाम इस प्रतिवेदन के अध्याय-4 में अंतर्विष्ट किए गये हैं।

3.6 शहरी स्थानीय निकायों का वित्तीय विवरण एवं लेखांकन ढांचा (आंतरिक नियंत्रण प्रणाली)

राज्य सरकार द्वारा शहरी स्थानीय निकायों के कुशल एवं प्रभावी शासन के लिए मजबूत आंतरिक नियंत्रण प्रणाली मुख्य रूप से योगदान करती है। वित्तीय नियमों, प्रक्रियाओं एवं निदेशों की अनुपालना के साथ साथ ऐसी अनुपालना की प्रास्थिति पर रिपोर्टिंग की समयपरकता और गुणवत्ता अच्छे शासन की विशेषताओं में से एक है। अनुपालना एवं नियंत्रणों पर प्रतिवेदन, यदि प्रभावी एवं प्रचालनीय है, शहरी स्थानीय निकायों एवं राज्य सरकार को उनके मूलभूत कुशल योजना, निर्णय लेने तथा पणधारियों के उत्तरदायित्व से अंतर्विष्ट न्यासी उत्तरदायित्वों को प्राप्त करने में सहायता करते हैं। आंतरिक नियंत्रण प्रणाली में निम्नवत् कमजोरियां/अंतर देखे गए थे:

[4] बद्दी, मण्डी, सुन्दरनगर, मनाली, नाहन तथा बिलासपुर।

[5] भोटा, अर्की, चौपाल, गगरेट, भुन्तर, नारकण्डा, सुन्नी तथा सरकाघाट।

3.6.1 लेखा का प्रमाणन न किया जाना

सभी शहरी स्थानीय निकायों को उपार्जन आधार पर अप्रैल 2009 से निदेशक, शहरी विकास विभाग द्वारा अपने लेखा का अनुरक्षण करने के दिशा-निर्देश जारी किए गये हैं। लेखापरीक्षा में नमूना जांचित सभी 49 शहरी स्थानीय निकायों ने उपार्जन आधारित प्रणाली पर लेखा का अनुरक्षण किया था। शहरी स्थानीय निकायों के लिए हिमाचल प्रदेश लेखा नियमावली तैयार की गई है तथा राष्ट्रीय नगर लेखा नियमावली के आधार पर राज्य सरकार (अप्रैल 2007) द्वारा अपनायी गई है। शहरी स्थानीय निकायों को दोहरी प्रविष्टि प्रणाली प्रारंभ करने के निदेश (अप्रैल 2009) भी दिए गये थे। विशेष प्रावधानों की अनुपस्थिति में, राज्य के अधिनियमों/नियमों में विशेष प्रावधानों की अनुपस्थिति में शहरी स्थानीय निकायों में एक स्वतन्त्र अभिकरण द्वारा लेखा का प्रमाणन अस्तित्व में नहीं था।

3.6.2 बजट आकलन

शहरी स्थानीय निकायों के बजट आकलन आगामी वित्त वर्ष के लिए आशातीत आय एवं व्यय के बजट आकलनों को ध्यान में रखते हुए निर्धारित प्रपत्र में हिमाचल प्रदेश नगरीय सहिंता, 1975 के अनुसार तैयार किये गए हैं तथा इन्हें पारित करने के लिए समिति सदन के सामने रखे गये हैं। समिति सदन द्वारा बजट पारित किये जाने के बाद, अनुमोदन के लिए यह निदेशक, शहरी विभाग को प्रस्तुत किया जाता है। 2009-12 के दौरान नमूना जांचित नगर निगम, नगर परिषदें, नगर पंचायतों द्वारा बजट प्रावधान तथा व्यय की वर्षवार स्थिति **तालिका 13** में दी गई है:

तालिका 13: बजट आकलनों की तुलना में व्यय

(₹ करोड़ में)

वर्ष	बजट आकलन	वास्तविक व्यय	बचतें (-) आधिक्य (+)	बचत/आधिक्य की प्रतिशतता
2009-10	173.07	75.41	(-)97.66	56
2010-11	196.47	77.68	(-)118.79	60
2011-12	118.63	75.11	(-)43.52	37

टिप्पणी: **परिशिष्ट-19** में दी गई ईकाईवार स्थिति।

तालिका 13 से यह स्पष्ट है कि बजट आकलनों की तैयारी एक वास्तविक तरीके से नहीं की गई थी जिसके परिणामस्वरूप उपरोक्त अवधि के दौरान 37 से 60 प्रतिशत की लगातार बचत हुई।

3.6.3 शहरी स्थानीय निकायों की आन्तरिक लेखापरीक्षा

हिमाचल प्रदेश नगर निगम अधिनियम की धारा 161(3) तथा हिमाचल प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1994 की धारा 255(1) के अंतर्गत शहरी स्थानीय निकायों के लेखाओं को पृथक तथा स्वतन्त्र अभिकरण द्वारा लेखापरीक्षित किया जाना होता है। राज्य सरकार ने अधिसूचना जारी की थी (अक्तूबर 2008) जिसके अनुसार निदेशक, स्थानीय लेखापरीक्षा से लेखापरीक्षा को संचालित करने के लिए वार्षिक योजना तैयार की जानी अपेक्षित थी। 2012-13 वर्ष के लिए लेखापरीक्षा योजना के अनुसार नियोजित सभी 21 शहरी स्थानीय निकायों को 31 मार्च 2013 तक लेखापरीक्षित किया गया है।

3.6.4 लम्बित लेखापरीक्षा निरीक्षण

प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), हिमाचल प्रदेश द्वारा जारी निरीक्षण प्रतिवेदनों में अन्तर्निहित निरीक्षणों की अनुपालना नगर निगम, नगर परिषद् तथा नगर पंचायत के क्रमशः आयुक्त, कार्यकारी अधिकारी और सचिव करेंगे तथा त्रुटियों/लोपों में संशोधन एवं निरीक्षणों के समायोजन के लिए उनकी अनुपालना का प्रतिवेदन देंगे। 31 मार्च 2013 तक जारी, समायोजित तथा बकाया निरीक्षण प्रतिवेदनों तथा परिच्छेदों का विवरण **तालिका 14** में अन्तर्निहित है:

तालिका 14: लम्बित निरीक्षण प्रतिवेदनों/परिच्छेदों की स्थिति

क्रमांक	निरीक्षण प्रतिवेदनों को जारी करने का वर्ष	31.03.2012 तक बकाया निरीक्षण प्रतिवेदन/परिच्छेद्		जोड़		योग		2012-13 के दौरान निपटान किये गए निरीक्षण प्रतिवेदनों/परिच्छेदों की संख्या		31.03.2013 तक बकाया निरीक्षण प्रतिवेदनों/परिच्छेदों की संख्या	
		निरीक्षण प्रतिवेदन	परिच्छेद्	निरीक्षण प्रतिवेदन	परिच्छेद्	निरीक्षण प्रतिवेदन	परिच्छेद्	निरीक्षण प्रतिवेदन	परिच्छेद्	निरीक्षण प्रतिवेदन	परिच्छेद्
1.	2009-10 तक	85	676	-	-	85	676	-	53	85	623
2.	2010-11	15	157	-	-	15	157	-	09	15	148
3.	2011-12	15	164	-	-	15	164	-	-	15	164
4.	2012-13	-	-	15	175	15	175	-	-	15	175
	योग	**115**	**997**	**15**	**175**	**130**	**1172**	**-**	**62**	**130**	**1110**

निरीक्षण प्रतिवेदनों तथा अदत्त परिच्छेदों की बढ़ती हुई प्रवृत्ति लेखापरीक्षा परिणाम तथा निरीक्षणों के प्रति अपर्याप्त अनुक्रिया को दर्शाती है जिसके परिणामस्वरूप उत्तरदायित्व का क्षय हुआ।

अध्याय-4

शहरी स्थानीय निकायों की लेखापरीक्षा के परिणाम

अध्याय-4

शहरी स्थानीय निकायों की लेखापरीक्षा के परिणाम

2012-13 के दौरान शहरी स्थानीय निकायों की लेखापरीक्षा में दिखाई देने वाली कमियों की चर्चा अनुवर्ती परिच्छेदों में की गई है।

4.1 राजस्व

4.1.1 गृहकर की दरों को संशोधित न किये जाने के कारण हानि

राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार चार शहरी स्थानीय निकायों द्वारा गृहकर की दरों को संशोधित न किये जाने के परिणामस्वरूप ₹ 1.70 करोड़ के राजस्व की हानि हुई।

हिमाचल प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1994 के नियम 65 में प्रावधान है कि नगर निगम भवन एवं भूमि पर गृहकर लगाने को अधिकृत है जो कि ऐसे भवनों एवं भूमि के वार्षिक मूल्य पर 7.5 प्रतिशत से कम तथा 12.5 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा। निदेशक, शहरी विकास ने सभी शहरी स्थानीय निकायों को निदेश (नवम्बर, 2003) दिया कि द्वितीय राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार 2002-03 से प्रति वर्ष गृहकर की दर में एक प्रतिशत की वृद्धि होगी ताकि 2006-07 के अन्त तक 12.5 प्रतिशत के स्तर को प्राप्त किया जा सके।

तथापि, लेखापरीक्षा में यह पाया गया था कि चार शहरी स्थानीय निकायों **(परिशिष्ट-20)** ने गृहकर की दरों के संशोधन के लिए अनुदेशों का अनुसरण नहीं किया था तथा गृहकर के लिए मांग 7.5 प्रतिशत तथा 10 प्रतिशत के मध्य तक की विभिन्न दरों पर उद्ग्रहीत किए जाने के परिणामस्वरूप 2003-12 के दौरान ₹ 1.70 करोड़ के राजस्व की हानि हुई। सम्बंधित शहरी स्थानीय निकायों ने बताया (अक्तूबर 2012-फरवरी 2013) कि गृहकर की दरों को बढ़ाने के लिए कार्रवाई की जाएगी।

4.1.2 बकाया गृहकर

प्रभावहीन अनुश्रवण के कारण आठ शहरी स्थानीय निकायों में गृहकर के कारण ₹ 5.33 करोड़ का राजस्व बकाया रहा।

आठ शहरी स्थानीय निकायों (नगर परिषदें: दो तथा नगर पंचायतें: छः) में मार्च 2008 तक ₹ 5.10 करोड़ का अदत्त गृहकर अथशेष था तथा 2008-13 **(परिशिष्ट-21)** के दौरान ₹ 1.18 करोड़ की मांग उठाई गई थी। तथापि, सम्बंधित अवधि के दौरान मार्च 2013 तक ₹ 5.33 करोड़ के अदत्त शेष को छेड़कर, गृहकर का संग्रहण मात्र ₹ 0.95 करोड़ तक था। वसूली की गति धीमी थी क्योंकि चालू मांग की वसूली भी नहीं की जा सकी थी। गृहकर की वसूली न होने से उपरोक्त सीमा तक शहरी स्थानीय निकायों की राजस्व प्राप्तियों को प्रभावित किया जिन्हें अन्य विकासशील कार्यों के लिए प्रयुक्त किया जा सकता था। सचिव, नगर पंचायत, सरकाघाट ने बताया (नवम्बर 2012) कि लोग गृहकर का भुगतान नहीं कर रहे थे तथा स्वच्छता सुविधाओं की मांग कर रहे थे। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि नगर पंचायत स्ट्रीट

लाईटें, सड़कें, निकास, गलियों की सफाई आदि जैसी मूलभूत सुविधाएं पहले से ही उपलब्ध करवा रही है परन्तु गृहकर वसूली के लिए उचित प्रयास नहीं किए गए हैं। शेष शहरी स्थानीय निकायों के कार्यकारी अधिकारियों/सचिवों ने बताया (नवम्बर 2012-फरवरी 2013) कि चूककर्त्ताओं के विरूध बकाया वसूली के लिए अधिसूचनाएं जारी कर दी गई थी।

4.1.3 गृहकर का न लगाया जाना

नगर परिषद्, बद्दी ने गृहकर नहीं लगाया।

राज्य सरकार ने जनवरी 2004 को जारी अधिसूचना द्वारा नगर पंचायत बद्दी (नवम्बर 2009 से नगर परिषद् बद्दी के रूप में उन्नयन) को ऐसे भवन एवं भूमि पर, जो उनके वार्षिक मूल्य के साढ़े सात प्रतिशत से कम न हो, के ऊपर गृहकर लगाने को अधिकृत किया।

लेखापरीक्षा के दौरान यह पाया गया कि नगर परिषद् बद्दी के क्षेत्र में 2,553 कुटुम्ब थे, परन्तु उपरोक्त अधिनियम एवं अधिसूचना के प्रावधान के अनुसार गृहकर अभी तक नहीं लगाया गया था। अत:, गृहकर के न लगाये जाने के कारण नगर परिषद बद्दी राजस्व से वंचित रही जिसे विभिन्न विकासशील गतिविधियों पर प्रयुक्त किया जा सकता था।

4.1.4 स्वच्छता कर की वसूली न होना

नगर परिषद्, बद्दी ₹ 20.67 लाख राशि का स्वच्छता कर लगाने में असफल रही।

राज्य सरकार की अधिसूचना (अगस्त 1990) के अनुसार नगरपालिका के पास प्रत्येक निजी भवन/अन्य रिहायसी भवन पर ₹ 5 प्रति माह की दर पर स्वच्छता कर तथा सम्बंधित नगरपालिका के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली प्रत्येक दुकान के लिए ₹ 7.50 प्रति माह की दर पर कर लगाने के लिए अधिकृत है।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि नगर परिषद् बद्दी के क्षेत्र में 2,553 रिहायसी भवन तथा 80 होटल/गैस्ट हाऊस थे परन्तु निर्धारित दर पर किसी तरह का स्वच्छता कर वसूल नहीं किया गया था। इसके परिणामस्वरूप दिसम्बर 1999 से दिसम्बर 2012 की अवधि के लिए ₹ 20.67 लाख[6] की वसूली नहीं हुई।

कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद् बद्दी ने बताया (दिसम्बर 2012) कि स्वच्छता कर के उद्ग्रहण का मामला नगर परिषद् के सदन के सामने लाया जाएगा। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि स्वच्छता कर के न लगाये जाने के कारण नगर परिषद् बद्दी ₹ 20.67 लाख की आय से वंचित रही।

4.1.5 विद्युत कर की वसूली न होना

नगर परिषद् बद्दी ₹ 54.23 लाख का विद्युत कर लगाने में असफल रही।

राज्य सरकार ने नगर परिषद् क्षेत्र की सीमा के अन्दर किसी भी व्यक्ति द्वारा विद्युत उपभोग पर एक पैसा प्रति यूनिट की दर पर कर संग्रहित करने के लिए नगर परिषद् को प्राधिकृत (अप्रैल, 2002)किया।

---

[6] भवनों की संख्या (2553+80) = 2633; लगी अवधि= 157 महीने;
वसूली योग्य राशि= 2633x5x157 = ₹ 20,66,905 अर्थात ₹ 20.67 लाख।

नगर परिषद् बद्दी की लेखापरीक्षा के दौरान पाया गया कि नगर परिषद् क्षेत्र के अन्दर अप्रैल 2008 से मार्च 2012 तक 54,23,05,600 यूनिटों का विद्युत उपभोग हुआ था तथा इस पर ₹ 54.23 लाख का विद्युत कर जोड़ा गया था। तथापि, नगर परिषद् ने इसे हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड सीमित से वसूल नहीं किया था जिसे इसका संग्रहण उपभोक्ताओं से करना था। कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद् बद्दी ने तथ्यों को स्वीकार करते हुए बताया (दिसम्बर 2012) कि कर की वसूली के लिए प्रयास किए जाएंगे।

4.1.6 किराये की वसूली न होना

सात शहरी स्थानीय निकाय आवंटितियों से दुकानों का ₹ 1.92 करोड़ की राशि का किराया वसूल करने में असफल रहे।

हिमाचल प्रदेश नगर अधिनियम 1994 की धारा 258 (i) (ख) (2) में प्रावधान है कि कोई भी राशि जो नगरपालिका को देय है तथा पंद्रह दिनों के भीतर, जब यह देय है, भुगतान किये बिना रहती है, कार्यकारी अधिकारी/सचिव, जैसा भी मामला हो, सम्बंधित व्यक्तियों को मांग अधिसूचना जारी करेगा। अधिनियम मे यह भी प्रावधान है कि वसूली के लिए कोई भी देय राशि बिना किसी भेदभाव के संग्रहण के किसी अन्य माध्यम से भू-राजस्व के बकाया के रूप में वसूल की जाएगी।

यह पाया गया कि सात शहरी स्थानीय निकायों (तीन नगर परिषदें तथा चार नगर पंचायतें) में इन शहरी स्थानीय निकायों द्वारा धारित दुकानों/स्टालों के आवंटितियों के प्रति मार्च 2011 (**परिशिष्ट-22**) तक ₹ 2.00 करोड़ राशि के किराया प्रभारों की वसूली लम्बित थी। इसके अतिरिक्त 2008-13 के दौरान इन दुकानों/स्टालों के किराएदारों/पट्टेधारों के प्रति ₹1.33 करोड़ की मांग की गई थी। ₹ 3.33 करोड़ की कुल मांग के प्रति मार्च 2013 तक ₹ 1.92 करोड़ की अदत्त वसूली को छोडकर केवल ₹ 1.41 करोड़ ही वसूल किए गये थे। शहरी स्थानीय निकायों ने बताया (दिसम्बर 2012-फरवरी 2013) कि चूककर्त्ताओं को सूचना जारी कर दी गई थी तथा राशि शीघ्र ही वसूल कर ली जाएगी।

4.1.7 पट्टाधन की अदत्त वसूली

नगर निगम शिमला ₹ 32.84 लाख के पट्टाधन की वसूली करने में असफल रहा।

नगर निगम, शिमला ने विकसित दुकानों/स्टालों तथा भूमि को निजी व्यक्तियों को किराया आधार पर पट्टे पर दिया।

लेखापरीक्षा के दौरान पाया गया कि 2009-10 से पहले 852 दुकानें/स्टाल निजी व्यक्तियों को किराया पट्टे पर दी थी तथा मार्च 2013 तक 2009-13 की अवधि के लिए ₹ 32.84 लाख की राशि पट्टा किराए के रूप में वसूल नहीं की गई।

देय तथा वास्तव में प्राप्त किराया प्रभार का वर्षवार विवरण निम्नवत् **तालिका 15** में दिया गया है:

तालिका 15: पट्टा धन की अदत्त वसूली का विवरण

(₹ लाख में)

वर्ष	अथ शेष	मांग	योग	संग्रहण	अदत्त
2009-10	14.62	178.82	193.44	3.26	190.18
2010-11	190.18	69.79	259.97	181.70	78.27
2011-12	78.27	29.00	107.27	9.46	97.81
2012-13	97.81	29.33	127.14	94.30	32.84
योग		**306.94**		**288.72**	

जैसाकि उपरोक्त तालिका में देखा गया है, 2009-13 के दौरान नगर निगम, शिमला ने ₹ 321.56 लाख (2009-10 की शुरूआत में अथशेष: ₹ 14.62 लाख+2009-13 के दौरान वसूली के लिए देय ₹ 306.94 लाख की राशि) की देय राशि के प्रति ₹ 288.72 लाख संग्रहित किए गये थे। नगर निगम ने किराए के वसूल न किए जाने के लिए कोई कारण न देते हुए बताया (सितम्बर 2012) कि अदत देयों की वसूली के लिए चूककर्त्ताओं को सूचना जारी की जा रही थी।

4.1.8 मोबाइल टावरों पर प्रतिष्ठापन/नवीकरण प्रभारों की वसूली न होना

सात शहरी स्थानीय निकायों द्वारा मोबाइल टावरों पर प्रतिष्ठापन/नवीकरण प्रभारों की वसूली में विफलता के परिणामस्वरूप ₹ 47.05 लाख के राजस्व की हानि हुई।

हिमाचल प्रदेश सरकार ने मोबाइल संप्रेषण टावरों के प्रतिष्ठापन पर ₹ 10,000 प्रति टावर की दर पर शुल्क तथा ₹ 5,000 की दर पर वार्षिक नवीकरण शुल्क उद्ग्रहित करने के लिए शहरी स्थानीय निकायों को प्राधिकृत (अगस्त 2006) किया।

सात शहरी स्थानीय निकायों में 2004-12 के दौरान उनके क्षेत्राधिकार में मोबाइल टावर प्रतिष्ठापित किए गये थे परन्तु सम्बंधित शहरी स्थानीय निकाय मार्च 2011 तक 83 टावरों के सम्बंध में **(परिशिष्ट-23)** ₹ 47.05 लाख के प्रभारों की वसूली नहीं कर पाए थे। सम्बंधित शहरी स्थानीय निकायों ने बताया (अप्रैल 2012-दिसम्बर 2012) कि देयों की वसूली के लिए शीघ्र ही कार्रवाई की जाएगी।

4.2 स्थापना पर व्यय आधिक्य

तीन शहरी स्थानीय निकायों ने मानदंडो के आधिक्य में ₹ 3.14 करोड़ का व्यय किया।

हिमाचल प्रदेश नगरपलिका अधिनियम की धारा 53 (i) (ग) तथा हिमाचल प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1994 की धारा 75 (i) में अंतर्निहित प्रावधानों के अनुसार शहरी स्थानीय निकायों के कुल व्यय का एक तिहाई से अधिक स्थापना पर व्यय नहीं होना चाहिए।

तीन शहरी स्थानीय निकायों में 2009-12 के दौरान कुल ₹ 18.75 करोड़ का व्यय हुआ था, परन्तु स्थापना पर व्यय किए जाने वाले ₹ 6.25 करोड़ की अनुमत सीमा के प्रति उपरोक्त प्रावधानों के अनुरूप स्थापना पर व्यय को विनियमित नहीं किया गया था, इन शहरी स्थानीय निकायों ने ₹ 9.39 करोड़ का

व्यय किया था। अतः 2009-12 (**परिशिष्ट-24**) के दौरान निर्धारित मानकों के आधिक्य में ₹ 3.14 करोड़ का समेकित व्यय हुआ था। सम्बंधित शहरी स्थानीय निकायों के कार्यकारी अधिकारियों ने बताया (दिसम्बर 2012-जनवरी 2013) कि व्यय आधिक्य महंगाई भत्ते की दरों में वृद्धि, वेतनमानों के संशोधन तथा दैनिक भोगी स्टाफ की सेवाओं को नियमित करने के कारण हुआ था। उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि अनुमत सीमाओं के आधिक्य से वेतन पर व्यय हिमाचल प्रदेश नगर निगम अधिनियम के प्रावधानों के विपरित है।

4.3 जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन के अन्तर्गत निधियों का अवरोधन

नगर निगम शिमला ने शिमला के विभिन्न क्षेत्रों में छोड़े गए/जीर्ण सिवरेज तथा लुप्त लाईनों में सिवरेज नेटवर्क के जीर्णोद्धार के लिए जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन के अन्तर्गत ₹ 12.33 करोड़ का प्रयोग नहीं किया।

शिमला शहर में मौजूदा सिवरेज नेटवर्क, जोकि ब्रिटिश काल के दौरान स्थापित किया गया था, बहुत पुराना है तथा जनसंख्या में वृद्धि एवं नगरीय क्षेत्र की सीमाओं के विस्तार के कारण यह सिवरेज नेटवर्क शहर की वर्तमान एवं भविष्य की मांगों की पूर्ति करने के लिए पर्याप्त नहीं है। मौजूदा सिवरेज नेटवर्क के सुधार के लिए जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन की केन्द्रीय संस्वीकृति एवं अनुश्रवण समिति ने ₹ 54.74 करोड़ के लिए लुप्त लाईनों में सिवरेज नेटवर्क तथा छोड़े गए क्षेत्र के जीर्णोद्धार को अनुमोदित (फरवरी, 2010) किया। केन्द्र, राज्य तथा नगर निगम शिमला के मध्य लागतांश 80:10:10 के अनुपात में था।

विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन के अनुसार, उक्त परियोजना अनुमोदन की तिथि से 36 माह की अवधि के भीतर पूर्ण की जानी थी। नगर निगम, शिमला ने सिवरेज नेटवर्क के जीर्णोद्धार को प्रारंभ करने के लिए मई 2010 में पहली किश्त के रूप में ₹ 12.33 करोड़ (केन्द्रीय अंश के रूप में ₹ 9.70 करोड़ तथा राज्य अंश के रूप में ₹ 2.63 करोड़) प्राप्त किए।

जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन के दिशा-निर्देशों के अनुसार, तिमाही प्रगति प्रतिवेदन, निष्पादित कार्यों तथा इन कार्यों पर प्रयुक्त निधियों की प्रास्थिति दर्शाने वाले, निधियन अभिकरण को प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित था।

यह पाया गया कि कार्य मार्च 2013 तक प्रारम्भ नहीं किया गया था। नगर आयुक्त ने बताया (सितम्बर 2012) कि इस परियोजना की स्वीकृति से पहले भारत सरकार ने शिमला की जलापूर्ति के जीर्णोद्धार के लिए ₹ 72.36 करोड़ की राशि की अन्य विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन का अनुमोदन (फरवरी 2009) किया था तथा राज्य सरकार ने अभियांत्रिकी, उपार्जन एवं निर्माण माध्यम के बजाय लोक जन भागीदारी माध्यम से दोनों के परियोजनाओं के निष्पादन के लिए नई बोलियां मंगवाई तथा सिवरेज नेटवर्क की नीलामी प्रक्रिया रद्ध करने का निर्णय (मार्च 2011) लिया था। नई बोलियां लगवाने के आमंत्रण की प्रक्रिया अप्रैल, 2012 में नगर निगम, शिमला द्वारा प्रारम्भ की गई थी तथा तकनीकी नीलामियों को अन्तिम रूप देने की प्रक्रिया अभी भी चल रही बताई गई थी। उत्तर विश्वसनीय नहीं है क्योंकि भारत सरकार द्वारा अनुमोदित विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन में शिमला की जलापूर्ति स्कीम की संस्वीकृती का तथ्य एक व्यवस्थित तरीके से कार्यों के निष्पादन को सुनिश्चित करने के लिए ध्यान में रखा जाना चाहिए था। लोक

जन भागीदारी माध्यम में दोनों कार्यों के निष्पादन का मुद्दा भी भारत सरकार से विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन संस्वीकृति प्राप्त करने से काफी पहले ही सुनिश्चित कर लेना चाहिए था।

अत:, नगर निगम, शिमला की तरफ से निष्क्रियता के परिणामस्वरूप तीन वर्षों के लिए ₹ 12.33 करोड़ की निधियों का अवरोधन हुआ। इसके अतिरिक्त जीर्ण सिवरेज नेटवर्क की समस्या न सुलझने के परिणामस्वरूप शहर में अस्वास्थ्यकर स्थितियां बनी।

4.4 देयता का सृजन

जल बिलों के भुगतान में विफलता के परिणामस्वरूप ₹ 112.66 करोड़ की देयता का सृजन हुआ।

नगर निगम, शिमला नगर में जलापूर्ति सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी है। तथापि, जलापूर्ति सिंचाई एवं जनस्वास्थ्य विभाग द्वारा की जाती है तथा बिल समय-समय पर अनुमोदित दरों पर उद्ग्रहीत किए जाते हैं।

यह पाया गया था कि नगर निगम शिमला के पास मार्च 2012 तक सिंचाई एवं जनस्वास्थ्य विभाग को भुगतान करने वाले जल बिलों पर आधारित ₹ 112.66 करोड़ की देयता अदत्त थी। यह भी पाया गया कि सिंचाई एवं जनस्वास्थ्य विभाग ₹ 14.20 प्रति किलोलीटर की दर पर जलापूर्ति कर रहा था जबकि जल प्रभार घरेलू उपभोक्ताओं से ₹ 7.50 प्रति किलोलीटर की दर पर प्राप्त किए जा रहे थे। अत:, सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग द्वारा प्रभारित दरों तथा जिन्हें घरेलू उपभोक्ताओं से प्रभारित किया गया है, के मध्य बहुत बड़ा अन्तर था। सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग को भुगतान योग्य जल की लागत तथा घरेलू उपभोक्ताओं से वास्तविक रूप से प्रभारित दरों में भिन्नता से ₹ 112.66 करोड़ की देयता का सृजन हुआ। मार्च 2013 तक प्रयोक्ताओं से वसूलने योग्य ₹ 112.66 करोड़ की देयता का निस्तारण तथा दरों में बड़ी भिन्नता के लिए कोई विवेकपूर्ण कारण अग्रेषित नहीं किए गये थे।

4.5 आकस्मिक अग्रिमों का समायोजन न किया जाना

नगर निगम शिमला ने अभिलेखों के उपलब्ध न होने के कारण ₹ 24.52 करोड़ का आकस्मिक अग्रिम समायोजित/वसूल नहीं किया।

आकस्मिक व्ययों को चुकाने के लिए, अस्थायी/आकस्मिक अग्रिम नगर निगम शिमला द्वारा अपने विभिन्न विभागों को समय-समय पर भुगतान किए जाते हैं। यह देखने में आया कि मार्च 2012 के अन्त तक ₹ 24.52 करोड़ के कुल आकस्मिक अग्रिम समायोजन हेतु लम्बित थे। समायोजन के लिए अपेक्षित अग्रिमों के विभागवार विवरण निम्नवत् **तालिका 16** में दिए गये हैं:

तालिका 16: असमायोजित अग्रिमों का विवरण

(₹ लाख में)

क्रमांक	लेखा शीर्ष	विस्तृत शीर्ष विवरण	अवधि	31.03.11 तक अथ शेष	2011-12 के दौरान जोड़	योग	2011-12 के दौरान समायोजित	31.3.12 तक अदत्त
1.	460-10-01	गृह निर्माण अग्रिम	1.4.07 से 31.3.12	0.16	0	0.16	0.12	0.04
2.	460-10-01	परिवहन	1.4.07 से 31.3.12	4.27	9.08	13.35	13.17	0.18
3.	460-10-01	वाहन	1.4.07 से 31.3.12	0.17	0	0.17	0.09	0.08
4.	460-10-01	गर्म वस्त्र अग्रिम	1.4.07 से 31.3.12	35.00	0	35.00	28.63	6.37
5.	460-10-01	चिकित्सा	1.4.07 से 31.3.12	1.75	4.39	6.14	1.67	4.47
6.	460-10-01	लोक निर्माण कार्य	1.4.07 से 31.3.12	2.69	4.30	6.99	0	6.99
7.	460-10-01	भण्डार/सामग्री	1.4.07 से 31.3.12	54.80	102.08	156.88	131.40	25.49
8.	460-10-01	स्थाई अग्रिम	1.4.07 से 31.3.12	0.38	0.78	1.16	0.77	0.39
9.	460-10-01	परियोजना	1.4.07 से 31.3.12	518.23	11.94	530.17	0	530.17
10.	460-10-01	स्कीम	1.4.07 से 31.3.12	5.52	46.26	51.78	2.09	49.68
11.	460-10-01	अस्थाई	1945 से 31.3.12	1542.45	73.54	1615.99	173.16	1442.83
12.	460-10-01	स्ट्रीट लाईट	1.4.07 से 31.3.12	215.43	58.30	273.73	49.74	224.00
13.	460-10-01	जलापूर्ति	1.4.07 से 31.3.12	128.96	32.21	161.17	0	161.17
		योग		**2509.81**	**342.88**	**2852.69**	**400.84**	**2451.86** अर्थात **₹ 24.52** करोड़

इस तथ्य के बावजूद कि सदन नगर निगम शिमला ने सम्बंधित प्राधिकारियों को लम्बे अदत्त अग्रिमों के समायोजन को सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाने तथा 1996 के बाद अभिलेखों की संवीक्षा करने के अनुदेश दिये थे (जून 2006), नगर निगम शिमला के पास इन अग्रिमों का वर्षवार विवरण उपलब्ध नहीं था। प्राधिकारियों द्वारा इस सम्बंध में कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। तथ्यों को स्वीकार करते हुए सह आयुक्त, नगर निगम, शिमला ने बताया (जुलाई 2012) की पुराने अभिलेखों के उपलब्ध न होने के कारण अग्रिम समायोजित नहीं किए जा सके थे। इसने प्राधिकारियों का अग्रिमों की बड़ी राशि के

समायोजन को सुनिश्चित करने में लापरवाह दृष्टिकोण को दर्शाया जिसमें गबन अथवा दुर्विनियोजन के जोखिम से इन्कार नहीं किया जा सकता।

4.6 निरर्थक निवेश

नगर निगम शिमला ने बिना योजना के कार पार्किंगों के निर्माण पर ₹ 25.60 लाख का व्यय किया जिसके परिणामस्वरूप निरर्थक निवेश हुआ।

शिमला नगर में पार्किंग सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए नगर निगम शिमला ने ₹ 25.60 लाख का व्यय कर के दो कार पार्किंगों, नजदीक सामुदायिक केन्द्र कैथू तथा अग्रवाल धर्मशाला लौंगवुड का क्रमशः अगस्त 2006 तथा जून 2011 में निर्माण करवाया।

यह पाया गया कि दोनों कार पार्किंग निर्माण की तिथि से अप्रयुक्त पड़ी थी। नगर निगम, शिमला ने बताया (अगस्त 2012) कि इन पार्किंगों को पट्टे पर देने के लिए निविदाएं आमंत्रित की गई थी परन्तु किसी भी पार्टी ने इन निविदाओं पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी क्योंकि ये शहर से बाहर पड़ते हैं। इसने पार्किंगों के निर्माण के लिए गलत योजना तथा अनुपयुक्त स्थल के प्रवरण को दर्शाया जिसके परिणामस्वरूप ₹ 25.60 लाख का निरर्थक निवेश हुआ।

4.7 परिसम्पत्तियों का उपयोग न होना

नगर परिषद् बद्दी ने ₹ 4.38 लाख की कुल लागत से निर्मित सामुदायिक सभागार का उपयोग नहीं किया।

नगर परिषद् बद्दी ने ₹ 4.38 लाख की लागत पर वार्ड संख्या 8 (ढाकनु माजरा) में एक सामुदायिक सभागार का निर्माण (मई 2010) करवाया। लेखापरीक्षा में पाया गया कि सामुदायिक सभागार बिजली एवं पानी जैसी सुविधाओं की अनुपलब्धता के कारण पूर्ण होने के बाद कभी भी प्रयोग में नहीं लाया गया था। तथ्यों को स्वीकारते हुए कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद्, बद्दी ने बताया (दिसम्बर 2012) कि शीघ्र ही मामला नगर परिषद् सदन के सम्मुख रखा जाएगा। अतः सामुदायिक सभागार की अप्रयुक्तता के कारण ₹ 4.38 लाख का व्यय बहुतायत रूप से निरर्थक रहा था तथा जनता भी अभिप्रेत लाभों से वंचित थी।

4.8 निधियों का अवरोधन

नगर पंचायत, भोटा नगर कूड़े के निस्तारण हेतु हाइड्रोलिक टिप्पर की खरीद के लिए ₹ 7.50 लाख की निधियों का उपयोग करने में विफल रही।

निदेशक, पंचायती राज, शिमला ने नगर कूड़े के निस्तारण हेतु हाइड्रोलिक टिप्पर की खरीद के लिए नगर पंचायत भोटा को ₹ 7.50 लाख की राशि क्रमशः अगस्त 2009 (₹ 5.50 लाख) तथा जनवरी 2011 (₹ 2.00 लाख) जारी की। खरीद सभी कोडल औपचारिकताओं की अनुपालना के बाद प्रत्यक्ष रूप से निर्माण कम्पनी / प्राधिकृत विक्रेता से एक मास के भीतर करनी थी।

लेखापरीक्षा के दौरान पाया गया कि नगर पंचायत ने नवम्बर 2012 तक आवश्यक वाहन नहीं खरीदा था तथा सम्पूर्ण राशि बैंक के बचत खाते में जमा पड़ी रही। सचिव, नगर पंचायत ने बताया (दिसम्बर 2012) कि निधियों की कमी तथा चालक पद के न होने के कारण, जिसके लिए मामला सरकार के सामने रखा गया था, वाहन नहीं खरीदा जा सका था। उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि नगर पंचायत अतिरिक्त निधियों को प्राप्त करने तथा चालक पद की सरकार से संस्वीकृति लेने में विफल रही।

लेखापरीक्षा परिणाम सितम्बर 2013 में सरकार को भेज दिये गए थे। उत्तर प्रतीक्षित है।

(सतीश लूम्बा)
प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा)
हिमाचल प्रदेश

शिमला
दिनांक: 22 AUG 2014

परिशिष्ट

परिशिष्ट-1

(संदर्भ परिच्छेद 1.3.2, पृष्ठ-3)

पंचायती राज संस्थाओं के संस्वीकृत पद

क्रमांक	पद का नाम	संस्वीकृत पद		पदासीन		मार्च, 2013 तक रिक्त पदों की संख्या
		नियमित	संविदा	नियमित	संविदा	
1.	कनिष्ठ अभियन्ता	102	85	102	85	00
2.	सहायक अभियन्ता	01	03	01	03	00
3.	टेलरिंग शिक्षक	00	2212	00	2212	00
4.	पंचायत सहायक	00	2518	00	2318	200
5.	पंचायत चौकीदार	00	3243	00	3243	00
6.	कनिष्ठ लेखाकार	08	02	08	02	00
7.	कनिष्ठ स्केल स्टेनो	02	10	02	10	00
योग		**113**	**8073**	**113**	**7873**	**200**

परिशिष्ट-2

(संदर्भ परिच्छेद 1.6, पृष्ठ-6 तथा परिच्छेद 3.5, पृष्ठ-21)

लेखापरीक्षा आच्छादन- 2012-13 के दौरान लेखापरीक्षित शहरी स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं का विवरण

नगर निगम

क्रमांक	नगर निगम का नाम
1.	शिमला

नगर परिषद्

क्रमांक	नगर परिषद् का नाम
1.	बद्दी
2.	नाहन
3.	मण्डी
4.	सुन्दर नगर
5.	मनाली
6.	बिलासपुर

नगर पंचायत

क्रमांक	नगर पंचायत का नाम
1.	सरकाघाट
2.	भोटा
3.	अर्की
4.	चौपाल
5.	भुन्तर
6.	नारकण्डा
7.	सुन्नी
8.	गगरेट

जिला परिषद्

क्रमांक	जिला परिषदों का नाम
1.	ऊना
2.	बिलासपुर
3.	हमीरपुर
4.	कुल्लु
5.	चम्बा
6.	किन्नौर

पंचायत समितियां

क्रमांक	नगर निगम का नाम
1.	नेर चौक
2.	मण्डी
3.	ऊना
4.	तीसा
5.	सलूनी
6.	पांगी
7.	अम्ब
8.	रिकांग पिओ स्थित कल्पा
9.	बंगाणा
10.	निचार
11.	मेहला
12.	नदौन
13.	भरमौर
14.	बिझडी
15.	जंजैहली स्थित सिराज
16.	बिलासपुर
17.	घुमारवीं
18.	सुजानपुर टिहरा
19.	झण्डुता

ग्राम पंचायतें

क्रमांक	ग्राम पंचायतें	खण्ड का नाम	जिला का नाम
1.	जंगी	पूह	किन्नौर
2.	कानम	पूह	किन्नौर
3.	रिस्पा	पूह	किन्नौर
4.	ठंगी	पूह	किन्नौर
5.	पूह	पूह	किन्नौर
6.	रारंग	पूह	किन्नौर
7.	लावरंग	पूह	किन्नौर
8.	मुरंग	पूह	किन्नौर
9.	स्पिलो	पूह	किन्नौर
10.	रिब्बा	पूह	किन्नौर
11.	बरी	निचार	किन्नौर
12.	काफनू	निचार	किन्नौर
13.	निचार	निचार	किन्नौर
14.	पौंडा	निचार	किन्नौर
15.	निचला रिवालसर	बल्ह	मण्डी
16.	सिद्धयानी	बल्ह	मण्डी
17.	हुडान भटौनी	पांगी	चम्बा
18.	धारवास	पांगी	चम्बा
19.	बैरागढ़	चुराह	चम्बा
20.	बघाईगढ़	चुराह	चम्बा
21.	बग्गी टुंगल	सदर मण्डी	मण्डी
22.	औट	सदर मण्डी	मण्डी
23.	बहादपुर	फतेहपुर	कांगड़ा
24.	वड़ागरा	भरमौर	चम्बा
25.	बांदला	मेहला	चम्बा

क्रमांक	ग्राम पंचायतें	खण्ड का नाम	जिला का नाम
26.	औरा	भरमौर	चम्बा
27.	चगांव	निचार	किन्नौर
28.	भगेड़ा	सुजानपुर टिहरा	हमीरपुर
29.	चांसु	कल्पा रिकांग-पिओ	किन्नौर
30.	बनाल	सुजानपुर टिहरा	हमीरपुर
31.	बैरी	सुजानपुर टिहरा	हमीरपुर
32.	बडाहनी	बमसन	हमीरपुर
33.	अम्मन	बमसन	हमीरपुर
34.	चलोह	सुजानपुर टिहरा	हमीरपुर
35.	बगाचनोगी	जंजैहली स्थित सेराज	मण्डी
36.	चमियाना	सुजानपुर टिहरा	हमीरपुर
37.	बारोट	पद्धर स्थित दरंग	मण्डी
38.	देहरा	सुजानपुर टिहरा	हमीरपुर
39.	बड़ी रोहड़ा	करसोग	मण्डी
40.	बागैला	करसोग	मण्डी
41.	बाल्हडी	गोहर	मण्डी
42.	धामदियाना	सुजानपुर	हमीरपुर
43.	बाड़ा	गोहर	मण्डी
44.	दशेड़ा	नेर चौक स्थित बल्ह	मण्डी
45.	बढ़ेरी	पद्धर स्थित दरंग	मण्डी
46.	बटारी	पद्धर स्थित दरंग	मण्डी
47.	टिहरा	सुजानपुर	हमीरपुर
48.	भनेरा	करसोग	मण्डी
49.	बंढी	सदर मण्डी	मण्डी
50.	भराडू	पद्धर स्थित दरंग	मण्डी
51.	दिष्टि	गोहर	मण्डी
52.	भारगांव	सदर मण्डी	मण्डी
53.	बासा	गोहर	मण्डी
54.	बाहलीधार	जंजैहली स्थित सेराज	मण्डी
55.	बीजनी	सदर मण्डी	मण्डी
56.	बख्तपुर	मेहला	मण्डी
57.	बीर	सदर मण्डी	मण्डी
58.	भडीयारा बुहला	चौंतडा	मण्डी
59.	भरोल	चौंतडा	मण्डी
60.	भदीयाना	चौंतडा	मण्डी
61.	बाग	चौंतडा	मण्डी
62.	अंजौली	ऊना	ऊना
63.	अंजौली	ऊना	ऊना
64.	अबडा बराना	ऊना	ऊना
65.	अन्दोरा	अम्ब	ऊना
66.	अम्बटिल्ला	अम्ब	ऊना
67.	डोहगी	बंगाना	ऊना
68.	अरलु खास	बंगाणा	ऊना
69.	अम्भेड़ा धीराज	बंगाणा	ऊना
70.	डोमेहर	बसंतपुर	शिमला
71.	धरोगड़ा	बसंतपुर	शिमला
72.	कोटला	बसंतपुर	शिमला
73.	सिंघड़ा	बिलासपुर	बिलासपुर

क्रमांक	ग्राम पंचायतें	खण्ड का नाम	जिला का नाम
74.	बांदला	बिलासपुर	बिलासपुर
75.	करयाली	बसंतपुर	शिमला
76.	मण्डोत घाट	बसंतपुर	शिमला
77.	खटनोल	बसंतपुर	शिमला
78.	देवला	बसंतपुर	शिमला
79.	चेवड़ी	बसंतपुर	शिमला
80.	औहर	झण्डुता	बिलासपुर
81.	बाखौल	जुब्बल कोटखाई	शिमला
82.	बागी	जुब्बल कोटखाई	शिमला
83.	अमरपुर	झण्डुता	बिलासपुर
84.	बलथाटा	जुब्बल कोटखाई	शिमला
85.	भिलाड़	जुब्बल कोटखाई	शिमला
86.	बरोटा	घुमारवीं	बिलासपुर
87.	दरकोटी	जुब्बल कोटखाई	शिमला
88.	भपराल	घुमारवीं	बिलासपुर
89.	देवरी खनेटी	जुब्बल कोटखाई	शिमला
90.	सुंगरा	पूह	किन्नौर
91.	बदेहडा	नदौन	हमीरपुर
92.	बलदुहक	नदौन	हमीरपुर

परिशिष्ट-3

(संदर्भ परिच्छेद 1.7.2, पृष्ठ-7)

बजट आकलनों को तैयार न करना

(₹ लाख में)

क्रमांक	जिला परिषदों/पंचायत समितियों का नाम	अवधि	व्ययित राशि
		जिला परिषद्	
1.	ऊना	2011-12	513.84
		योग (जिला परिषदों)	**513.84**
		पंचायत समितियां	
1.	भरमौर	2009-10	54.26
		2010-11	62.55
		2011-12	67.50
2.	नदौन	2005-06	4.54
		2006-07	16.69
		2007-08	30.95
		2008-09	10.79
		2009-10	30.68
		2010-11	34.65
		2011-12	137.60
3.	अम्ब	2011-12	59.69
4.	मेहला	2008-09	37.95
		2009-10	80.65
		2010-11	124.64
		2011-12	171.01
5.	सलूनी	2009-10	40.90
		2010-11	81.90
		2011-12	53.17
6.	तीसा	2010-11	48.57
		2011-12	53.41
7.	बिझडी	2009-10	18.33
		2010-11	30.44
		2011-12	36.18
8.	सदर मण्डी	2009-10	35.13
		2010-11	50.12
		2011-12	76.83
		योग (पंचायत समितियां)	**1449.15**

ग्राम पंचायतें

क्रमांक	जिले का नाम	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	अवधि	राशि
1.	ऊना	अम्ब	अम्ब टिल्ला	2009-12	21.50
2.	किन्नौर	निचार	चगांव	2009-10	11.66
				2010-11	13.78
				2011-12	9.75
3.	किन्नौर	कल्पा रिकांगपिओ	चांसु	2009-10	11.48
				2010-11	13.26
				2011-12	14.50
4.	शिमला	बसंतपुर	धरोगड़ा	2010-11	5.94
				2011-12	11.22
5.	किन्नौर	निचार	पौंडा	2009-12	13.93
6.	मण्डी	बल्ह	निचला रिवालसर	2006-12	28.36
7.	चम्बा	भरमौर	बाडागरा	2007-09	22.40
8.	मण्डी	सदर	औट	2007-12	3.05
9.	मण्डी	बल्ह	सिंधयानी	2006-11	9.54
10.	मण्डी	सदर	बाघी टूंगल	2006-09	13.29
11.	चम्बा	चूरा	बघाईगढ़	2007-12	120.00
12.	चम्बा	भरमौर	चम्बा	2009-12	20.00
13.	मण्डी	करसोग	बघैला	2009-12	20.91
14.	मण्डी	सदर मण्डी	भारगांव	2009-10	14.94
15.	बिलासपुर	बिलासपुर	सिंघड़ा	2009-10	16.05
				2010-11	11.75
				2011-12	10.15
16.	बिलासपुर	बिलासपुर	बांदला	2009-10	7.15
				2010-11	3.98
				2011-12	10.12
17.	शिमला	बसंतपुर	देवला	2011-12	23.89
योग (ग्रांम पंचायतें)					**462.60**
कुल योग					**2425.59**

स्रोत: लेखापरीक्षा परिणाम।

परिशिष्ट-4

(संदर्भ परिच्छेद 1.7.3, पृष्ठ-8)

2007-13 के दौरान ग्राम पंचायतों द्वारा अभिलेखों का गैर-अनुरक्षण

क्रमांक	जिले का नाम	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायतों का नाम
1.	किन्नौर	पूह	ठंगी
2.	किन्नौर	पूह	रारंग
3.	किन्नौर	पूह	रिब्बा
4.	ऊना	बंगाना	अम्भेडा धीयाज
5.	हमीरपुर	सुजानपुर टिहरा	बधेड़ा
6.	मण्डी	बल्ह	सिधयानी
7.	किन्नौर	निचार	काफनु
8.	शिमला	बसंतपुर	धरोगड़ा
9.	किन्नौर	निचार	निचार
10.	शिमला	जुब्बल कोटखाई	दरकोटी
11.	मण्डी	गोहर	बालहडी
12.	हमीरपुर	सुजानपुर टिहरा	धमदीयाना
13.	मण्डी	गोहर	बारा
14.	मण्डी	पद्धर स्थित दरंग	भटेरी
15.	मण्डी	पद्धर स्थित दरंग	बटारी
16.	मण्डी	पद्धर स्थित दरंग	भाराड़
17.	मण्डी	करसोग	भनेरा
18.	मण्डी	गोहर	दीष्टी
19.	हमीरपुर	सुजानपुर टिहरा	टिहरा
20.	मण्डी	गोहर	बाशा
21.	शिमला	जुब्बल कोटखाई	बखोल
22.	शिमला	बसंतपुर	देबला

क्रमांक	जिले का नाम	पंचायत समिति का नाम
1.	बिलासपुर	घुमारवीं

स्रोत: लेखापरीक्षा परिणाम।

परिशिष्ट-5

(संदर्भ परिच्छेद 1.7.5, पृष्ठ-8)

बैंक पास बुक के साथ रोकड़ बहियों के अंतर का मिलान न किया जाना

मामले जिनमें पास बुक रोकड़ बही की अपेक्षा कम शेष दर्शाती है

पंचायत समितियां

(₹ लाख में)

क्रमांक	पंचायत समिति का नाम	31.03.2012 को पास बुक के अनुसार शेष	रोकड़ बही के अनुसार शेष	अंतर
1.	निचार	23.83	33.42	9.59
2.	जंजैहली स्थित सेराज	83.85	87.72	3.87
3.	सदर मण्डी	156.47	165.62	9.15
योग		**264.15**	**286.76**	**22.61**

ग्राम पंचायतें

क्रमांक	जिले का नाम	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायतें	31.03.2012 को पास बुक के अनुसार शेष	31.03.2012 को रोकड़ बही के अनुसार शेष	अंतर
1.	ऊना	बंगाना	डोगी	16.84	18.36	1.52
2.	हमीरपुर	सुजानपुर टिहरा	बधेड़ा	5.56	5.90	0.34
3.	हमीरपुर	सुजानपुर टिहरा	बनाल	12.85	13.62	0.77
4.	हमीरपुर	सुजानपुर टिहरा	चमयाना	12.65	13.97	1.32
5.	शिमला	बसंतपुर	धरोगड़ा	8.66	9.86	1.20
6.	मण्डी	बल्ह	लोअर	15.46	17.76	2.30
7.	किन्नौर	निचार	पौंडा	2.35	5.87	3.52
8.	मण्डी	सदर	औट	1.25	1.27	0.02
9.	किन्नौर	निचार	निचार	6.98	96.97	89.99
10.	मण्डी	चौंतडा	भदयारा	3.62	8.38	4.76
11.	शिमला	जुब्बल कोटखाई	बरथाटा	15.55	16.17	0.62
12.	शिमला	जुब्बल कोटखाई	भोलर	11.44	12.75	1.31
13.	शिमला	जुब्बल कोटखाई	देवरी खनेटी	13.05	13.07	0.02
योग				**126.26**	**233.95**	**107.69**
सकल योग				**390.41**	**520.71**	**130.30**

मामले जिनमें रोकड़ बही पास बुक की अपेक्षा कम शेष दर्शाती है

पंचायत समितियां

(₹ लाख में)

क्रमांक	पंचायत समिति का नाम	31.03.2012 को पास बुक के अनुसार शेष	31.03.2012 को रोकड़ बही के अनुसार शेष	अंतर
1.	बल्ह	198.33	193.31	5.02
2.	अम्ब	217.02	126.88	90.14
3.	नदौन	30.99	30.61	0.37
4.	ऊना	161.27	158.22	3.05
	योग	**607.61**	**509.02**	**98.58**

ग्राम पंचायते

क्रमांक	जिले का नाम	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायतें	31.03.2012 को पास बुक के अनुसार शेष	31.03.2012 को रोकड़ बही के अनुसार शेष	अंतर
1.	ऊना	बंगाना	अम्भेडा धीराज	20.64	19.89	0.75
2.	ऊना	अम्ब	अम्ब टिल्ला	8.07	6.48	1.59
3.	ऊना	ऊना	अंजोली	11.15	10.90	0.25
4.	ऊना	ऊना	अबाड़ा	3.79	2.06	1.73
5.	ऊना	बंगाणा	अरलू खास	8.84	8.47	0.37
6.	किन्नौर	निचार	चगांव	15.55	12.20	3.35
7.	किन्नौर	पूह	लावरंग	8.01	3.80	4.21
8.	किन्नौर	कल्पा रिकांगपिओ	चांसु	8.92	7.03	1.89
9.	चम्बा	मेहला	बांदला	14.24	10.87	3.37
10.	हमीरपुर	सुजानपुर टिहरा	चलोह	5.46	5.41	0.05
11.	चम्बा	मेहला	बख्तपुर	15.32	12.23	3.09
12.	हमीरपुर	सुजानपुर टिहरा	डेरा	4.29	4.20	0.09
13.	शिमला	बसंतपुर	डोमेहर	4.73	4.64	0.09
14.	शिमला	बसंतपुर	कोटला	4.29	3.69	0.6
15.	मण्डी	बल्ह	सिध्यानी	9.76	8.52	1.24
16.	किन्नौर	निचार	काफनू	2.05	1.83	0.22
17.	शिमला	जुब्बल कोटखाई	दरकोटी	9.05	8.26	0.79
18.	मण्डी	पद्धर स्थित दरंग	भटेरी	20.02	11.38	8.64
19.	मण्डी	पद्धर स्थित दरंग	बटारी	7.93	4.43	3.5
20.	मण्डी	पद्धर स्थित दरंग	भराडू	10.60	4.78	5.82
21.	हमीरपुर	सुजानपुर टिहरा	टीहरा	1.85	1.34	0.51
22.	मण्डी	करसयोंग	बघैला	4.26	0.83	3.43
23.	मण्डी	चौंतडा	भरयारा	10.93	6.44	4.49
24.	मण्डी	गोहर	बाशा	5.59	4.84	0.75
25.	मण्डी	करसोग	बडोरोरा	36.84	4.00	32.84
26.	शिमला	बसंतपुर	करयाली	7.60	6.14	1.46
27.	शिमला	बसंतपुर	खटनोल	8.66	7.89	0.77
28.	शिमला	बसंतपुर	छेबडा	5.20	4.82	0.38

क्रमांक	जिले का नाम	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायतें	31.03.2012 को पास बुक के अनुसार शेष	31.03.2012 को रोकड़ बही के अनुसार शेष	अंतर
29.	बिलासपुर	झण्डुता	औहर	18.97	0	18.97
30.	शिमला	जुब्बल कोटखाई	बाघी	15.93	14.99	0.94
31.	बिलासपुर	झण्डुता	अमरपुर	6.53	0	6.53
32.	शिमला	बसंतपुर	देवला	11.01	9.36	1.65
33.	बिलासपुर	घुमारवीं	भपराल	8.15	0	8.15
			योग	**334.23**	**211.72**	**122.51**
			सकल योग	**941.84**	**720.74**	**221.09**

रोकड़ बही और पास बुकों के मध्य अंतर का सार

क्रमांक	ईकाई का प्रकार	ईकाइयों की संख्या	पास बुक तथा रोकड़ बही के मध्य अन्तर
1.	पंचायत समिति	7	121.20
2.	ग्राम पंचायत	46	230.20
	सकल योग	**53**	**351.40**

स्रोत: लेखापरीक्षा निष्कर्ष।

परिशिष्ट-6

(संदर्भ परिच्छेद 1.7.6, पृष्ठ-9)

सामग्री का लेखांकन न करना

(₹ लाख में)

क्रमांक	जिले का नाम	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	खरीद की अवधि	राशि
1.	किन्नौर	पूह	पूह	2009-11	0.28
2.	किन्नौर	पूह	रारंग	2009-11	9.10
3.	किन्नौर	पूह	लावरंग	2008-10	0.48
4.	मण्डी	दरंग	बरोट	2008-10	3.47
5.	चम्बा	भरमौर	बडागरा	2007-12	0.95
6.	चम्बा	भरमौर	औरा	2008-09	2.57
7.	हमीरपुर	बमसन	अम्मन	2009-11	0.09
8.	हमीरपुर	बमसन	बढ़ानी	2008-10	0.40
9.	मण्डी	सिराज(जंजैहली)	बगाचानोगी	2007-09	0.16
10.	मण्डी	बल्ह	लोअर रिवाल्सर	2006-12	39.01
11.	मण्डी	बल्ह	सिद्धयानी	2007-12	2.49
12	किन्नौर	निचार	काफन	2011-12	1.52
13.	चम्बा	चुराह	बैरागढ़	2008-11	17.67
14.	मण्डी	सदर	बग्गी टुंगल	2006-12	69.21
15.	कांगडा	फतेहपुर	बहादपुर	2008-09	0.36
16.	मण्डी	गोहर	बाडा	2010-12	0.25
17.	मण्डी	नेरचौक स्थित बल्ह	दसेड़ा	2007-12	0.13
18.	मण्डी	दरंग	भराडु	2008-09	0.65
19.	मण्डी	चौंतडा	भारयारा	2007-12	0.96
20.	चम्बा	तीसा	बगाईगढ़	2007-12	9.48
योग					**159.23**

स्रोतः लेखापरीक्षा निष्कर्ष।

परिशिष्ट-7

(संदर्भ परिच्छेद 1.7.8, पृष्ठ-10)

13वें वित्त अयोग के अन्तर्गत निधियों का अवरोधन

ग्राम पंचायत

(₹ लाख में)

क्रमांक	ग्राम पंचायतों का नाम	जिला	अवधि	प्राप्ति	व्यय	शेष
1.	अंजौली	ऊना	2010-12	1.21	0	1.21
2.	अंजौली	ऊना	2011-12	0.59	0.02	0.58
3.	अंडौरी	ऊना	2010-12	1.07	0	1.07
4.	चालोह	हमीरपुर	2011-12	1.50	0	1.50
5.	डोमेहर	शिमला	2011-12	0.52	0	0.52
6.	पौंडा	किन्नौर	2011-12	0.28	0	0.28
7.	निचार	किन्नौर	2010-11	1.23	0	1.23
8.	दरकोटी	शिमला	2010-12	0.90	0	0.90
9.	धमदियाना	हमीरपुर	2011-12	0.51	0.04	0.47
10.	बाडा	मण्डी	2011-12	1.20	0	1.20
11.	दशेडा	मण्डी	2011-12	0.60	0	0.60
12.	बंधी	मण्डी	2011-12	0.75	0	0.75
13.	दिष्टि	मण्डी	2011-12	0.74	0	0.74
14.	बीजनी	मण्डी	2011-12	0.61	0	0.61
15.	बाशा	मण्डी	2010-11	1.01	0	1.01
16.	भरोल	मण्डी	2011-12	0.34	0	0.34
17.	खटनोल	बसंतपुर	2011-12	0.55	0	0.55
18.	अमरपुर	बिलासपुर	2011-12	1.06	0	1.06
19.	भपराल	बिलासपुर	2010-12	0.77	0	0.77
योग				**15.44**	**0.06**	**15.38**

परिशिष्ट-8

(संदर्भ परिच्छेद 2.1.1, पृष्ठ -11)

गृह कर की वसूली न होना 2007-12

(₹ लाख में)

क्रमांक	जिले का नाम	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायतें	बकाया राशि
1.	ऊना	बंगाना	अम्भेड़ा धीराज	0.16
2.	किन्नौर	पूह	रीब्बा	0.17
3.	ऊना	अम्ब	अम्ब टिल्ला	0.09
4.	ऊना	ऊना	अंजौली	0.24
5.	ऊना	ऊना	अंजौली	0.06
6.	किन्नौर	पूह	ठंगी	0.10
7.	किन्नौर	पूह	रारंग	0.51
8.	किन्नौर	पूह	मूरंग	0.28
9.	किन्नौर	पूह	लावरंग	0.10
10.	किन्नौर	पूह	स्पिलों	0.09
11.	चम्बा	भरमौर	औरा	0.34
12.	चम्बा	भरमौर	वड़ागरा	0.25
13.	हमीरपुर	सुजानपुर टिहरा	बगेडा	0.19
14.	मण्डी	पद्धर स्थित दरंग	बरोट	0.54
15.	चम्बा	मेहला	बखपुर	0.13
16.	मण्डी	बल्ह	लोअर रिवाल्सर	0.18
17.	किन्नौर	निचार	पौंडा	0.14
18.	मण्डी	सदर	औट	0.61
19.	मण्डी	बल्ह	सिद्धयानी	0.11
20.	मण्डी	सदर	बग्गी टुंगल	0.32
21.	कांगडा	फतेहपुर	बहादपुर	0.14
22.	शिमला	जुब्बल कोटखाई	दरकोटी	0.29
23.	मण्डी	गोहर	बाल्हडी	0.09
24.	मण्डी	गोहर	बाडा	0.51
25.	मण्डी	नेरचौक स्थित बल्ह	दसहेड़ा	0.07
26.	मण्डी	पद्धर स्थित दरंग	बथेरी	0.25
27.	मण्डी	पद्धर स्थित दरंग	बटारी	0.09
28.	मण्डी	सदर	बंढ़ी	0.33
29.	मण्डी	पद्धर स्थित दरंग	भराडू	0.18
30.	मण्डी	करसोग	भनेरा	0.26
31.	मण्डी	गोहर	दिष्टि	0.29
32.	हमीरपुर	सुजानपुर टिहरा	टिहरा	0.10
33.	मण्डी	करसोग	बधैला	0.22
34.	मण्डी	चौंतडा	भरयारा	0.21
35.	मण्डी	चौंतडा	भदयारा बुल्हा	0.23
36.	मण्डी	गोहर	बाशा	0.30
37.	मण्डी	सदर मण्डी	भरगांव	0.15
38.	मण्डी	चौंतडा	भरोल	0.22
39.	मण्डी	चौंतडा	बाग	0.22
40.	मण्डी	सदर मण्डी	बीर	0.71

क्रमांक	जिले का नाम	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायतें	बकाया राशि
41.	बिलासपुर	बिलासपुर	सिंघड़ा	0.18
42.	शिमला	बसंतपुर	करयाली	0.13
43.	शिमला	बसंतपुर	मण्ढ़ोरघाट	0.02
44.	शिमला	बसंतपुर	छाबडा	0.07
45.	शिमला	जुब्बल कोटखाई	बखौल	0.22
46.	शिमला	जुब्बल कोटखाई	बागी	0.20
47.	बिलासपुर	झण्डुता	अमरपुर	0.48
48.	शिमला	जुब्बल कोटखाई	बरथाटा	0.20
49.	बिलासपुर	घुमारवीं	बरोटा	0.45
50.	बिलासपुर	घुमारवीं	भपराल	0.23
51.	शिमला	जुब्बल कोटखाई	दवरी खनेटी	0.49
योग				**12.14**

स्रोत: लेखापरीक्षा निष्कर्ष।

परिशिष्ट-9

(संदर्भ परिच्छेद 2.1.2, पृष्ठ-11)

दुकानों का बकाया किराया

(₹ लाख में)

क्रमांक	जिला परिषदों/पंचायत समितियों/ग्राम पंचायतों के नाम	अवधि	दुकानों की संख्या	राशि
जिला परिषद्				
1.	बिलासपुर	2006-12	1	0.43
		योग	**1**	**0.43**
पंचायत समितियां				
1.	कल्पा रिकांगपिओ	2007-12	4	1.56
2.	अम्ब	2006-12	41	17.19
3.	सुजानपुर टिहरा	2009-12	9	0.22
4.	सलूनी	2009-12	13	2.41
5.	बिलासपुर	2007-11	11	1.39
6.	घुमारवीं	2012-13	18	5.92
7.	ऊना	2003-12	13	4.75
		ऊना	**109**	**33.44**

ग्रांम पंचायतें

क्रमांक	जिले का नाम	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायतें	अवधि	दुकानों की संख्या	राशि
1.	कांगड़ा	फतेहपुर	बहादपुर	2003-12	7	1.34
2.	मण्डी	गोहर	बाशा	2009-13	19	0.56
				योग	**26**	**1.90**
				सकल योग	**136**	**35.77**

स्रोत: लेखापरीक्षा निष्कर्ष।

परिशिष्ट-10

(संदर्भ परिच्छेद 2.1.3, पृष्ठ-12)

2006-12 के दौरान संविदाकारों/आपूर्तिकर्त्ताओं से रॉयल्टी की वसूली न होना

(₹ लाख में)

क्रमांक	जिले का नाम	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायतें	मात्रा (मीट्रिक टन)	बकाया राशि
1.	ऊना	बंगाणा	दोहगी	1021.24	0.20
2.	ऊना	बंगाणा	अम्भेड़ा धीराज	852	0.17
3.	ऊना	अम्ब	अम्ब टिल	381	0.08
4.	ऊना	ऊना	अंजौली	261	0.05
5.	ऊना	ऊना	अंजौली	601.53	0.12
6.	ऊना	ऊना	अबाड़ा बरानां	476.64	0.10
7.	ऊना	अम्ब	अंडोरी	1280	0.26
8.	ऊना	बंगाणा	अरलूखास	739	0.15
9.	किन्नौर	पूह	रिब्बा	-	0.05
10.	शिमला	बसंतपुर	डोमेहर	507	0.10
11.	शिमला	बसंतपुर	धारोगड़ा	183	0.04
12.	शिमला	बसंतपुर	कोटला	281	0.06
13.	मण्डी	सदर	बागी टुंगल	826	0.94
14.	कांगडा	फतेहपुर	बहादपुर	1558.23	0.31
15.	शिमला	जुब्बल कोटखाई	दरकोटी	512	0.10
16.	मण्डी	सदर	बढ़ी	208.56	0.04
17.	मण्डी	गोहर	दिष्टि	592.5	0.12
18.	किन्नौर	पूह	स्पिलो	-	0.07
19.	चम्बा	मेहला	बांदला	2822.62	0.56
20.	चम्बा	मेहला	बख्तपुर	176.06	0.26
21.	किन्नौर	निचार	पौंडा	182	0.04
22.	मण्डी	करसोग	बघैला	1258	0.25
23.	मण्डी	सदर मण्डी	भरगांव	420.75	0.13
24.	शिमला	बसंतपुर	करियाली	836	0.17
25.	शिमला	बसंतपुर	खटनोल	740	0.15
26.	शिमला	बसंतपुर	छाबडा	202.45	0.04
27.	शिमला	जुब्बल कोटखाई	बखौल	468	0.09
28.	शिमला	जुब्बल कोटखाई	बागी	534	0.11
29.	शिमला	बसंतपुर	देवला	6450	0.09
30.	शिमला	जुब्बल कोटखाई	बरथाटा	927	0.19
योग				**25297.58**	**5.04**

स्रोत: लेखापरीक्षा निष्कर्ष।

परिशिष्ट-11

(संदर्भ परिच्छेद 2.1.4, पृष्ठ-12)

मोबाइल टावरों के प्रतिष्ठापन के आधार पर शुल्क की अवसूली

ग्राम पंचायत

(₹ लाख में)

क्रमांक	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	प्रतिष्ठापन का वर्ष	टावरों की संख्या	अवधि जब से देय	राशि			
						प्रतिष्ठापन	वार्षिक नवीकृत शुल्क	भुगतान की गई राशि	वसूल की जाने वाली राशि
1.	बंगाणा	अम्भेड़ा धीराज	2010	1	2010-12	0.04	0.02	0	0.06
2.	ऊना	अंजौली	2010	1	2010-12	0.04	0.04	0.04	0.04
3.	निचार	चगांव	2010	3	2010-12	0.12	0.12	0.08	0.16
4.	कल्पा	चांसु	2006,08	2	2006-12	0.08	0.25	0.00	0.33
5.	सुजानपुर टिहरा	बैरी	2006	1	2006-12	0.04	0.13	0.00	0.17
6.	सुजानपुर टिहरा	बघेड़ा	2010	1	2010-12	0.04	0.04	0.00	0.08
7.	पद्धर स्थित दरंग	बरोट	2006	2	2006-13	0.08	0.24	0.04	0.28
8.	सुजानपुर टिहरा	डेरा	2004, 06,09, 10	6	2004-10	0.24	0.49	0.40	0.33
9.	बसंतपुर	धारोगड़ा	2007	1	2007-12	0.04	0.10	0	0.14
10.	निचार	चगांव	2010	3	2010-12	0.12	0.12	0.08	0.16
11.	निचार	बारी	2006	1	2006-12	0.13	0.04	0	0.17
12.	गोहर	दिष्टि	2006	2	2006-12	0.04	0.22	0	0.26
13.	सदर मण्डी	बिजनी	2007-08	1	2007-12	0.10	0.09	0	0.19
14.	गोहर	बाशा	2006	2	2006-12	0.08	0.10	0	0.18
15.	सदर मण्डी	भारगांव	2007	3	2007-12	0.30	0.75	0	1.05
16.	बसंतपुर	छेबडा	2008	1	2008-12	0.04	0.08	0.04	0.08
17.	जुब्बल कोटखाई	बखौल	2006	1	2007-12	0.04	0.10	0	0.14
18.	जुब्बल कोटखाई	बाघी	2007,09	2	2007-12	0.08	0.16	0.14	0.10
19.	जुब्बल कोटखाई	देवरी खनेटी	2006	1	2006-12	0.04	0.10	0.04	0.10
			योग	**35**		**1.69**	**3.19**	**0.86**	**4.02**

स्रोत: लेखापरीक्षा निष्कर्ष।

परिशिष्ट-12

(संदर्भ परिच्छेद 2.2, पृष्ठ-13)

बकाया अग्रिम

(₹ लाख में)

पंचायत समिति

क्रमांक	पंचायत समितियों का	कब से लम्बित	अधिकारी/कर्मचारी	अन्य चयनित/अचयनित	योग
1.	ऊना	2009-11	अध्यक्ष	लिपिक, सफाईवाला	0.48
योग					**0.48**

ग्राम पंचायतें

क्रमांक	जिले का नाम	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायतें	कब से लम्बित	बकाया		
					अधिकारी/ कर्मचारी	अन्य चयनित/ अचयनित	राशि
1.	ऊना	बंगाणा	डोहगी	2008-11	प्रधान	-	0.16
2.	किन्नौर	निचार	चगांव	1990-99	-	-	0.95
3.	चम्बा	पांगी	धारवास	2009	प्रधान		1.20
4.	शिमला	जुब्बल कोटखाई	दरकोटी	2007-12	समिति सदस्य	-	0.30
5.	मण्डी	गोहर	बाल्हडी	2007-12	प्रधान	-	0.78
6.	किन्नौर	पूह	लावरंग	2002-10	समिति सदस्य	-	7.24
7.	शिमला	जुब्बल कोटखाई	देवरी खनेटी	2011-12	प्रधान	सदस्य	0.80
योग							**11.43**
सकल योग							**11.91**

स्रोत: लेखापरीक्षा निष्कर्ष।

परिशिष्ट – 13

(संदर्भ परिच्छेद 2.3, पृष्ठ-13)

कोटेशनों को आमंत्रित किये बिना सामग्री की खरीद

(₹ लाख में)

क्रमांक	जिला परिषद् का नाम	अवधि	राशि
1.	ऊना	2011	0.64
योग			**0.64**

क्रमांक	जिला का नाम	पंचायत समिति का नाम	अवधि	राशि
1.	चम्बा	तीसा	2010	3.47
योग				**3.47**

क्रमांक	जिला का नाम	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायतें	राशि
1.	ऊना	ऊना	अंजौली	2.44
2.	ऊना	बंगाणा	डोहगी	8.13
3.	ऊना	बंगाणा	अम्भेड़ा धीराज	8.07
4.	ऊना	ऊना	अंजौली	4.30
5.	ऊना	ऊना	अवाडा बराना	2.97
6.	ऊना	अम्ब	अण्डोरा लोअर	2.30
7.	किन्नौर	पूह	जंगी	7.25
8.	किन्नौर	पूह	ठंगी	0.32
9.	किन्नौर	पूह	पूह	2.32
10.	किन्नौर	पूह	रिस्पा	3.95
11.	किन्नौर	पूह	लावरंग	1.69
12.	हमीरपुर	बमसन (टौणी)	अम्मन	3.76
13.	हमीरपुर	बमसन	बढ़ानी	3.03
14.	हमीरपुर	सुजानपुर टिहरा	डेरा	2.61
15.	शिमला	बसंतपुर	कोटला	4.14
16.	शिमला	बसंतपुर	डोमेहर	1.81
17.	शिमला	बसंतपुर	धरोगड़ा	3.63
18.	मण्डी	बल्ह	लोअर रिवाल्सर	0.90
19.	मण्डी	सदर	औट	1.71
20.	मण्डी	बल्ह	सिंधयानी	2.55
21.	किन्नौर	निचार	निचार	2.92
22.	किन्नौर	निचार	बरी	3.05
23.	मण्डी	सदर	बग्गी टुंगल	5.95
24.	शिमला	जुब्बल कोटखाई	दरकोटी	8.00
25.	मण्डी	करसोग	भनेरा	5.19
26.	किन्नौर	पूह	स्पिलो	1.70
27.	चम्बा	भरमौर	वडागरा	0.88
28.	चम्बा	मेहला	बांदला	11.17
29.	मण्डी	चौंतडा	भडयारा भुल्हा	4.37
30.	मण्डी	चौंतडा	भरोल	5.62
31.	शिमला	बसंतपुर	करयाली	4.40

32.	शिमला	बसंतपुर	मंधोरघाट	3.14
33.	शिमला	बसंतपुर	खटनोल	2.56
34.	शिमला	जुब्बल कोटखाई	बखौल	6.46
35.	शिमला	जुब्बल कोटखाई	बाघी	11.11
36.	शिमला	बसंतपुर	देवला	1.90
37.	शिमला	जुब्बल कोटखाई	बरथाटा	11.56
38.	चम्बा	पांगी	हुडन भटोनी	1.92
39.	चम्बा	पांगी	धारवास	1.36
40.	चम्बा	तीसा	बघाईगढ़	7.08
41.	चम्बा	चुराह	बैरागढ़	17.53
योग				**185.75**
सकल योग				**189.86**

परिशिष्ट-14

(संदर्भ परिच्छेद 2.4, पृष्ठ- 14)

कार्यों के शुरू न होने के कारण निधियों का अवरोधन

जिला परिषद्

(₹ लाख में)

क्रमांक	जिला परिषदों का नाम	अवधि	कार्यों की संख्या	अथ शेष	प्राप्ति	कुल	व्यय	शेष
1.	कुल्लू	2010-11	30	0	16.40	16.40	0	16.40
योग			**30**	**0**	**16.40**	**16.40**	**0**	**16.40**

पंचायत समितियां

(₹ लाख में)

क्रमांक	पंचायत समितियों के नाम	अवधि	कार्यों की संख्या	अथ शेष	प्राप्ति	कुल	व्यय	शेष
1.	घुमारवीं	2009-10	21	0	5.95	5.95	0	5.95
2.	ऊना	2008-10	16	1.90	6.94	8.84	0	8.84
3.	कल्पा	2007-11	3	0	11.32	11.32	0	11.32
योग			**40**	**1.90**	**24.21**	**26.11**	**0**	**26.11**

ग्राम पंचायत

क्रमांक	ग्रांम पंचायतों का नाम	जिला	अवधि	कार्यों की संख्या	अथ शेष	प्राप्ति	कुल	व्यय	शेष
1.	बघेड़ा	हमीरपुर	2011-12	2	0	3.40	3.40	0	3.40
2.	हुडन भटोनी	चम्बा	2005-12	7	0	2.25	2.25	0	2.25
3.	पौंडा	किन्नौर	2009-12	1	0	2.38	2.38	0	2.38
4.	निचार	किन्नौर	2009-12	1	0	3.42	3.42	0	3.42
5.	धामदियाना	हमीरपुर	2012	1	1.83	0	1.83	0	1.83
6.	दसेहड़ा	मण्डी	2011	1	0	0.04	0.04	0	0.04
7.	भारयारा	मण्डी	2011-12	1	0	1.29	1.29	0	1.29
8.	बाग	मण्डी	2011-12	1	0	1.00	1.00	0	1.00
9.	वीर	मण्डी	2009-10	1	0	3.40	3.40	0	3.40
10.	औहर	बिलासपुर	2007-11	1	0	1.35	1.35	0	1.35
योग				**17**	**1.83**	**18.53**	**20.36**	**0**	**20.36**
सकल योग				**87**	**3.73**	**59.14**	**62.87**	**0**	**62.87**

स्रोत: लेखापरीक्षा निष्कर्ष।

परिशिष्ट-15

(संदर्भ परिच्छेद 2.5.1, पृष्ठ-14)

मस्टर रोलों पर दो बार भुगतान का ब्यौरा

(₹ में)

क्रमांक	जिला	खण्ड	ग्राम पंचायतों के नाम	अवधि	राशि
1.	ऊना	बंगाणा	दोहगी	2010	6250
2.	ऊना	बंगाणा	अभेंडा धीराज	2011	7563
3.	ऊना	बंगाणा	अरलू खास	2010	10010
4.	चम्बा	मेहला	बख्तपुर	2009	550
5.	मण्डी	गोहर	बारा	2007-08	3525
6.	चम्बा	मेहला	वांदला	2010-11	107820
				योग	**1,35,718**

स्रोत: लेखापरीक्षा निष्कर्ष।

परिशिष्ट-16

(संदर्भ परिच्छेद 2.6.1, पृष्ठ-15)

मनरेगा के अन्तर्गत निष्पादित कार्यों के सामग्री संघटकों पर व्यय आधिक्य

(₹ लाख में)

क्रमांक	जिला का नाम	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायतों का नाम	कार्यों की संख्या	भुगतान की गई राशि	आवश्यक 40% सामग्री भुगतान	वास्तविक सामग्री भुगतान	आवश्यक 60% श्रम भुगतान	वास्तविक श्रम भुगतान	अन्तर (9-10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	ऊना	ऊना	अंजौली	7	7.58	3.03	3.77	4.55	3.80	0.75
2.	ऊना	ऊना	अंजौली	13	11.19	4.47	5.73	6.71	5.45	1.26
3.	ऊना	ऊना	अवादा बराना	10	11.62	4.64	5.19	6.97	6.42	0.55
4.	ऊना	अम्ब	अंडौरी	20	21.37	8.54	8.77	12.82	12.60	0.22
5.	हमीरपुर	सुजानपुर टिहरा	बघेड़ा	15	17.28	6.91	12.18	10.37	5.10	5.27
6.	हमीरपुर	सुजानपुर टिहरा	बनाल	14	13.40	5.36	8.68	8.04	4.72	3.32
7.	हमीरपुर	सुजानपुर टिहरा	बैरी	44	28.60	11.44	16.69	17.16	11.91	5.25
8.	हमीरपुर	सुजानपुर टिहरा	डेरा	39	15.47	6.18	9.24	9.28	6.23	3.05
9.	हमीरपुर	सुजानपुर टिहरा	चलोह	8	3.66	1.46	2.17	2.20	1.50	0.70
10.	मण्डी	गोहर	बाल्हडी	19	34.49	13.80	19.45	20.69	15.03	5.66
11.	मण्डी	नेरचौंक स्थित बल्ह	दसेहड़ा	12	9.76	3.90	6.39	5.85	3.36	2.49
12.	मण्डी	गोहर	दिष्टि	8	20.29	8.11	10.59	12.17	9.70	2.47
13.	हमीरपुर	सुजानपुर टिहरा	टिहरा	71	56.73	22.69	29.47	34.04	27.26	6.78
14.	मण्डी	चौंतडा	भदयारा बुल्हा	27	28.34	11.33	14.96	17.00	13.38	3.62
15.	मण्डी	गोहर	बाशा	6	20.35	8.14	14.24	12.21	6.11	6.10
16.	मण्डी	सदर मण्डी	वीर	80	92.99	37.20	40.80	55.79	52.18	3.61
			योग	**393**	**393.12**	**157.20**	**208.32**	**235.85**	**184.75**	**51.10**

स्रोत: लेखापरीक्षा निष्कर्ष।

परिशिष्ट-17

(संदर्भ परिच्छेद 2.6.2, पृष्ठ - 16)

मनरेगा स्कीम के अन्तर्गत भुगतानों के जारी किये जाने में विलम्ब

(₹ लाख में)

क्रमांक	जिला का नाम	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायतों का नाम	अवधि	विलम्ब दिनों में	राशि
1.	चम्बा	मेहला	बांदला	2008-12	20-508	12.96
2.	ऊना	बंगाणा	अम्भेड़ा	2008-09	3-64	2.48
3.	चम्बा	मेहला	बख्तपुर	2008-12	12-690	14.96
4.	ऊना	अम्ब	अंडौरी	2008-12	2-161	अनुपलब्ध
5.	ऊना	अम्ब	अम्ब टिल्ला	2009-12	2-70	अनुपलब्ध
6.	शिमला	बसंतपुर	डोमेहर	2010-11	1-15	5.05
7.	मण्डी	गोहर	बाडा	2010	30-300	2.26
8.	मण्डी	गोहर	दिष्टि	2007-10	6-220	अनुपलब्ध
9.	मण्डी	चौंतडा	भदयारा बुल्हा	2008-11	60-362	अनुपलब्ध
10.	मण्डी	गोहर	बाशा	2008-10	7-102	4.38
11.	शिमला	बसंतपुर	मंधोरघाट	2011-12	5-17	1.24
12.	शिमला	बसंतपुर	छेबडा	2009-12	27-90	65.65
13.	शिमला	बसंतपुर	देवला	2011-12	10-37	अनुपलब्ध
योग						**108.98**

स्रोत: लेखापरीक्षा निष्कर्ष।

परिशिष्ट-18

(संदर्भ परिच्छेद 3.3.2, पृष्ठ -19)

शहरी स्थानीय निकायों का संस्वीकृत स्टाफ

नगर निगम

वर्ग का नाम	संस्वीकृत स्टाफ	भरे गए पद				आधिक्य(+)/ कमी (-)
		नियमित आधार पर	दिहाड़ी पर	संविदा आधार पर	योग	
ड्राफ्ट्समैन	3	4	0	0	4	1 (+)
चालक	19	24	0	7	31	12 (+)
डी-रेटिंग मेट/अन्य मेट	9	30	0	0	30	21(+)
राजमिस्त्री	11	21	0	0	21	10 (+)
मजदूर	229	392	24	6	422	193 (+)
रेट बेलदार	4	7	0	0	7	3 (+)
योग	**275**	478	24	13	515	**240 (+)**
शेष वर्ग	**830**	653	27	16	696	**134 (-)**

नगर परिषदें

नगर परिषदों का नाम	संस्वीकृत स्टाफ	भरे गए पद	दिहाड़ी पर	संविदा आधार पर	कमी
बद्दी	18	5	0	1	12
बिलासपुर	68	53	0	2	13
चम्बा	100	72	14	0	14
डल्हौजी	87	64	1	0	22
धर्मशाला	161	138	5	3	15
घुमारवीं	28	23	1	1	3
हमीरपुर	77	55	3	2	17
कांगड़ा	56	32	3	0	21
कुल्लू	157	114	17	0	26
मनाली	62	57	5	3	-3
मण्डी	164	114	1	2	47
नगरोटा	41	32	3	1	5
नाहन	184	121	27	4	32
नैना देवी	16	6	0	3	7
नालागढ़	60	43	0	2	15
नूरपुर	39	26	0	2	11
पालमपुर	43	28	0	1	14
पांवटा	51	35	10	0	6
परवाणु	42	34	0	1	7
रामपुर	50	36	2	2	10
रोहडू	22	16	2	1	3
सोलन	219	186	9	1	23
सुन्दरनगर	96	80	1	3	12
ठियोग	24	13	1	0	10

नगर परिषदों का नाम	संस्वीकृत स्टाफ	भरे गए पद	दिहाड़ी पर	संविदा आधार पर	कमी
ऊना	69	49	0	2	18
योग	**1934**	**1432**	**105**	**37**	**360**

नगर पंचायतें

नाम	संस्वीकृत स्टाफ	भरे गए पद	दिहाड़ी पर	संविदा आधार पर	कमी
अर्की	24	14	1	2	7
बन्जार	20	6	0	0	14
भोटा	19	5	0	0	14
भुन्तर	23	16	0	0	7
चौपाल	18	4	0	0	14
चुवाड़ी	18	11	11	1	-5
दौलतपुर	18	8	0	2	8
देहरा	37	28	0	0	9
गगरेट	19	5	0	1	13
ज्वालामुखी	56	45	1	0	10
जोगिन्द्रनगर	30	19	16	2	-7
जुब्बल	18	4	1	3	10
कोटखाई	18	5	1	0	12
मेहतपुर	19	17	4	1	-3
नदौन	35	29	1	0	5
नारकण्डा	18	7	0	0	11
राजगढ़	18	3	0	1	14
रिवाल्सर	20	8	7	0	5
सन्तोखगढ़	19	12	1	0	6
सरकाघाट	19	15	0	4	0
सुजानपुर	30	21	1	4	4
सुन्नी	18	4	0	2	12
तलाई	18	12	5	0	1
योग	**532**	**298**	**50**	**23**	**161**

परिशिष्ट-19

(संदर्भ परिच्छेद 3.6.2, पृष्ठ-22)

वर्ष 2009-10 के लिए शहरी स्थानीय निकायों के बजट आकलनों तथा वास्तविक व्यय का विवरण

(₹ लाख में)

क्रमांक	शहरी स्थानीय निकायों का नाम	बजट आकलन	वास्तविक व्यय	बचत(-) आधिक्य (+)
		नगर निगम		
1.	शिमला	**14008.62**	**5427.03**	**(-)8581.59**
		नगर परिषद्		
1.	बद्दी	251.50	216.96	(-)34.54
2.	नाहन	392.86	317.72	(-)75.14
3.	मण्डी	777.63	482.18	(-)295.45
4.	सुन्दर नगर	594.73	333.72	(-)261.01
5.	मनाली	318.98	176.52	(-)142.46
6.	बिलासपुर	184.82	136.29	(-)48.53
	योग	**2520.52**	**1663.39**	(-) **857.13**
		नगर पंचायतें		
1.	चौपाल	70.15	26.05	(-)44.10
2.	अर्की	63.84	40.87	(-)22.97
3.	भोटा	49.87	18.59	(-)31.28
4.	सरकाघाट	208.73	149.45	(-)59.28
5.	नारकण्डा	51.55	14.11	(-)37.44
6.	भुन्तर	71.71	64.24	(-)7.47
7.	सुन्नी	64.21	30.72	(-)33.49
8.	गगरेट	197.43	106.55	(-) 90.88
	योग	**777.49**	**450.58**	(-) **326.91**
	सकल योग	**17306.63**	**7541.00**	(-) **9765.63**

वर्ष 2010-11 के लिए शहरी स्थानीय निकायों के बजट आकलनों तथा वास्तविक व्यय का विवरण

(₹ लाख में)

क्रमांक	शहरी स्थानीय निकाय का नाम	बजट आकलन	वास्तविक व्यय	बचत(-) आधिक्य (+)
नगर निगम				
1.	शिमला	**15977.66**	**5366.87**	**(-)10610.79**
नगर परिषदें				
1.	बद्दी	262.68	183.87	(-)78.81
2.	नाहन	508.12	322.22	(-)185.90
3.	मण्डी	827.50	602.42	(-)225.08
4.	सुन्दर नगर	701.67	392.28	(-)309.39
5.	मनाली	401.12	257.72	(-)143.40
6.	बिलासपुर	299.70	209.78	(-)89.92
योग		**3000.79**	**1968.29**	(-)**1032.50**
नगर पंचायत				
1.	चौपाल	69.91	31.31	(-)38.60
2.	अर्की	75.00	45.59	(-)29.41
3.	भोटा	62.08	38.16	(-)23.92
4.	सरकाघाट	104.56	38.44	(-)66.12
5.	नारकण्डा	42.89	63.40	(+)20.51
6.	भुन्तर	75.66	63.98	(-)11.68
7.	सुन्नी	69.22	18.13	(-)51.09
8.	गगरेट	169.58	134.22	(-) 35.36
योग		**668.90**	**433.23**	(-) **235.67**
सकल योग		**19647.35**	**7768.39**	(-) **11878.96**

स्रोत: सम्बंधित शहरी स्थानीय निकाय।

वर्ष 2011-12 के लिए शहरी स्थानीय निकायों के बजट आकलनों तथा वास्तविक व्यय का विवरण

(₹ लाख में)

क्रमांक	शहरी स्थानीय निकाय का नाम	बजट आकलन	वास्तविक व्यय	बचत(-) आधिक्य (+)
		नगर निगम		
1.	**शिमला**	6949.01	4448.91	(-) 2500.10
		नगर परिषदें		
1.	बद्दी	366.36	115.25	(-)251.11
2.	नाहन	563.90	379.76	(-)184.14
3.	मण्डी	827.50	562.91	(-)264.59
4.	सुन्दर नगर	795.00	420.52	(-)374.48
5.	मनाली	570.81	380.17	(-)190.64
6.	बिलासपुर	471.96	437.91	(-)34.04
	योग	**3595.53**	**2296.52**	(-) **1299.00**
		नगर पंचायतें		
1.	चौपाल	73.37	34.10	(-)39.27
2.	अर्की	65.98	64.53	(-)1.45
3.	भोटा	70.67	33.07	(-)37.60
4.	सरकाघाट	539.40	214.11	(-)325.29
5.	नारकण्डा	252.19	205.75	(-)46.44
6.	भुन्तर	83.53	83.86	(+)0.33
7.	सुन्नी	87.27	26.39	(-)60.88
8.	गगरेट	145.59	103.19	(-) 42.40
	योग	**1318.00**	**765.00**	(-) **553.00**
	सकल योग	**11862.54**	**7510.43**	(-) **4352.10**

स्रोत: सम्बंधित शहरी स्थानीय निकाय।

परिशिष्ट-20

(संदर्भ परिच्छेद 4.1.1, पृष्ठ-25)

गृह कर की दरों के गैर-नवीकरण के कारण राजस्व की हानि

(₹ लाख में)

क्रमांक	शहरी स्थानीय निकाय का नाम	अवधि जबसे दरें संशोधित नहीं की गई	उठाई गई मांग पर प्रतिशत दर	2011-12 तक उठाई गई मांग	संशोधित दरों के आधार पर आवश्यक मांग	उठाई गई कम मांग
नगर परिषदें						
1.	मण्डी	2005-12	10	355.42	441.54	86.12
2.	मनाली	2007-12	10	251.89	304.06	52.17
3.	सुन्दरनगर	2007-12	10	128.11	157.13	29.02
योग				**735.42**	**902.73**	**167.31**
नगर पंचायतें						
1.	नारकण्डा	2003-12	7.50	7.57	10.50	2.93
योग				**7.57**	**10.50**	**2.93**
सकल योग				**742.99**	**913.23**	**170.24**

स्रोत: लेखापरीक्षा निष्कर्ष।

परिशिष्ट-21

(संदर्भ परिच्छेद 4.1.2, पृष्ठ-25)

बकाया गृह कर (2008-13)

(₹लाख में)

क्रमांक	नगर परिषदों का नाम	आरम्भिक शेष	मांग	कुल मांग	2009-12 के दौरान संग्रहण	बकाया राशि
1.	मण्डी	260.49	61.33	321.82	64.65	257.17
2.	सुन्दरनगर	139.71	25.54	165.25	15.29	149.96
योग		**400.20**	**86.87**	**487.07**	**79.94**	**407.13**
नगर पंचायतें						
1.	गगरेट	26.31	5.12	31.43	4.89	26.54
2.	सरकाघाट	19.34	4.92	24.26	1.59	22.67
3.	अर्की	34.90	7.28	42.18	4.28	37.90
4.	भोटा	7.86	1.57	9.43	1.40	8.03
5.	सुन्नी	17.79	11.55	29.34	2.08	27.26
6.	नारकण्डा	3.26	0.68	3.94	1.00	2.94
योग		**109.46**	**31.12**	**140.58**	**15.24**	**125.34**
सकल योग		**509.66**	**117.99**	**627.65**	**95.18**	**532.47**

स्रोत: लेखापरीक्षा निष्कर्ष।

परिशिष्ट-22

(संदर्भ परिच्छेद 4.1.6, पृष्ठ-27)

दुकानों/स्टालों से किराए की गैर वसूली (2008-13)

(₹लाख में)

क्रमांक	नगर निगमों के नाम	आरम्भिक शेष (1 अप्रैल 2011)	2011-12 के दौरान मांग	कुल	2011-13 के दौरान संग्रहण	बकाया राशि (31 मार्च 2013)
नगर परिषदें						
1.	मण्डी	85.84	46.45	132.29	51.41	80.88
2.	मनाली	73.30	66.48	139.78	71.18	68.60
3.	सुन्दरनगर	15.35	3.32	18.67	4.32	14.35
	योग	**174.49**	**116.25**	**290.74**	**126.91**	**163.83**
नगर पंचायतें						
1.	गगरेट	5.97	3.37	9.34	3.42	5.92
2.	अर्की	3.10	2.89	5.99	2.79	3.20
3.	सुन्नी	1.94	1.82	3.76	1.54	2.22
4.	नारकण्डा	14.86	8.99	23.85	6.70	17.15
	योग	**25.87**	**17.07**	**42.94**	**14.45**	**28.49**
	सकल योग	**200.36**	**133.32**	**333.68**	**141.36**	**192.32**

परिशिष्ट-23

(संदर्भ परिच्छेद-4.1.8, पृष्ठ-28)

मोबाइल टावरों पर प्रतिष्ठापन के आधार पर शुल्क की वसूली न होना

(₹ लाख में)

क्रमांक	नगर निगम/नगर परिषद् का नाम	प्रतिष्ठापन का वर्ष	टावरों की संख्या	अवधि जब से देय	राशि			
					प्रतिष्ठापन	वार्षिक नवीनीकरण शुल्क	प्राप्त राशि	बकाया राशि
	नगर निगम							
1.	शिमला	2010-11	41	2010-11	8.20	16.80	17.75	7.25
योग			**41**		**8.20**	**16.80**	**17.75**	**7.25**
	नगर परिषदें							
1.	मण्डी	2001-06	17	2001-12	7.65	0	0	7.65
2.	मनाली	2006-09	12	2006-12	1.20	2.44	1.45	2.19
योग			**29**		**8.85**	**2.44**	**1.45**	**9.84**
	नगर पंचायतें							
1.	अर्की	2007-12	2	2007-12	20.00	74.00	66.00	28.00
2.	सुन्नी	2005-06	2	2005-12	0.20	0.55	0.00	0.75
3.	नारकण्डा	2004-07	5	2004-12	0.50	1.94	1.69	0.75
4.	गगरेट	2004-10	4	2004-12	0.10	0.36	0	0.46
योग			**13**		**20.80**	**76.85**	**67.69**	**29.96**
सकल योग			**83**		**37.85**	**96.09**	**86.89**	**47.05**

स्रोत: लेखापरीक्षा निष्कर्ष।

परिशिष्ट-24

(संदर्भ परिच्छेद-4.2, पृष्ठ -29)

2009-12 के दौरान निर्धारित मानकों के आधिक्य में स्थापना पर हुआ व्यय

(₹ लाख में)

क्रमांक	शहरी स्थानीय निकाय का नाम	2009-10				2010-11				2011-12			
		कुल व्यय	स्थापना पर आवश्यक 1/3 व्यय	स्थापना पर व्यय	मानकों के आधिक्य में व्यय	कुल व्यय	स्थापना पर आवश्यक 1/3 व्यय	स्थापना पर व्यय	मानकों के आधिक्य में व्यय	कुल व्यय	स्थापना पर आवश्यक 1/3 व्यय	स्थापना पर व्यय	मानकों के आधिक्य में व्यय
नगर परिषद्													
1.	मण्डी	482.18	160.73	208.38	47.65	602.42	200.80	266.12	65.32	562.91	187.64	382.32	194.68
	योग	**482.18**	**160.73**	**208.38**	**47.65**	**602.42**	**200.80**	**266.12**	**65.32**	**562.91**	**187.64**	**382.32**	**194.68**
नगर पंचायत													
1.	अर्की	40.86	13.62	15.28	1.66	45.59	15.20	15.48	0.28	64.53	21.51	22.14	0.63
2.	सुन्नी	31.54	10.51	10.72	0.21	18.12	6.04	9.58	3.54	26.38	8.79	9.01	0.22
	योग	**72.4**	**24.13**	**26**	**1.87**	**63.71**	**21.24**	**25.06**	**3.82**	**90.91**	**30.30**	**31.15**	**0.85**
	सकल योग	**554.58**	**184.86**	**234.38**	**49.52**	**666.13**	**222.03**	**291.18**	**69.14**	**653.82**	**217.94**	**413.47**	**195.63**

वर्ष	कुल व्यय	स्थापना पर व्यय	आवश्यक 1/3 व्यय	व्यय आधिक्य
2009-10	554.58	234.38	184.86	49.52
2010-11	666.13	291.18	222.04	69.14
2011-12	653.82	413.47	217.94	195.53
योग	1874.53	939.03	624.84	314.19

स्रोत: लेखापरीक्षा निष्कर्ष।

© भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
2013
www.cag.gov.in

www. aghp.cag.gov.in